

अध्याय-2

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त

अध्याय-2

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त

यह अध्याय वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के वित्त का व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत करता है तथा पिछले पांच वर्षों के दौरान संपूर्ण प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष की तुलना में प्रमुख राजकोषीय संचयनों में होने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण करता है।

2.1 वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रमुख राजकोषीय संचयनों में मुख्य बदलाव

यह भाग पिछले वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष के दौरान रा.रा.क्षे.दि.स. के प्रमुख राजकोषीय संचयन में मुख्य बदलावों पर विहंगम दृष्टि डालता है। इन सभी संकेतकों का आगामी पैराग्राफों में विश्लेषण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रमुख राजकोषीय संचयनों में प्रमुख बदलाव तालिका 2.1 में दिए गए हैं:

तालिका 2.1: वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 में रा.रा.क्षे.दि.स. के प्रमुख राजकोषीय संचयनों में बदलाव

राजस्व प्राप्तियां	<ul style="list-style-type: none">✓ राजस्व प्राप्तियां 27.15 प्रतिशत बढ़ गईं।✓ स्वयं की कर प्राप्तियां 18.35 प्रतिशत बढ़ गईं।✓ गैर-कर प्राप्तियां 29.75 प्रतिशत घट गईं।✓ भारत सरकार से सहायता अनुदान 74.31 प्रतिशत बढ़ गईं।
राजस्व व्यय	<ul style="list-style-type: none">✓ राजस्व व्यय 4.78 प्रतिशत बढ़ गया।✓ सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय 5.31 प्रतिशत बढ़ गया।✓ सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय 3.36 प्रतिशत बढ़ गया।✓ आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय 1.02 प्रतिशत बढ़ गया।✓ सहायता अनुदान पर व्यय 24.66 प्रतिशत बढ़ गया।
पूंजीगत प्राप्तियां	<ul style="list-style-type: none">✓ ऋण पूंजीगत प्राप्तियां 70.95 प्रतिशत घट गईं।✓ गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां 101.94 प्रतिशत बढ़ गईं।
पूंजीगत व्यय	<ul style="list-style-type: none">✓ पूंजीगत व्यय 2.95 प्रतिशत घट गया।✓ सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत व्यय 67.32 प्रतिशत बढ़ गया।✓ सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय 9.79 प्रतिशत घट गया।✓ आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय 0.05 प्रतिशत घट गया।
ऋण तथा अग्रिम	<ul style="list-style-type: none">✓ ऋण तथा अग्रिमों का संवितरण 18.46 प्रतिशत बढ़ गया।✓ ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियां 101.94 प्रतिशत बढ़ गईं।
सार्वजनिक ऋण	<ul style="list-style-type: none">✓ सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां 34.97¹ प्रतिशत घट गईं।✓ सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान 11.86 प्रतिशत बढ़ गया।

¹ वर्ष 2021-22 के लिए ऋण प्राप्तियों के अंतर्गत ₹ 6,193 करोड़ को छोड़ने के बाद प्राप्त बैंक बैंक ऋण।

2.2 निधियों के स्रोत तथा अनुप्रयोग

यह भाग पिछले वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग के संघटकों की तुलना करता है। 2021-22 तथा 2022-23 के दौरान निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग के विवरणों को तालिका 2.2, चार्ट 2.1 तथा चार्ट 2.2 में दर्शाया गया है।


तालिका 2.2 : 2021-22 तथा 2022-23 के दौरान निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग के विवरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2021-22	2022-23	वृद्धि/कमी (प्रतिशत में)
स्रोत	आरंभिक शेष	11,393	11,349	(-) 0.39
	राजस्व प्राप्तियां	49,313	62,703	27.15
	ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियां	623	1,258	101.93
	सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां (निवल)	6,977	(-) 1,464 ²	(-) 286.73 ³
	कुल	68,306	73,846	8.11
अनुप्रयोग	राजस्व व्यय	46,043	48,246	4.78
	पूंजीगत व्यय	8,311	8,065	(-)2.96
	ऋण तथा अग्रिमों का संवितरण	2,603	3,084	18.48
	अंतिम शेष ⁴	11,349	14,451	27.33
	कुल	68,306	73,846	8.11

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2022-23 के दौरान राज्य की समेकित निधि में संसाधनों की संरचना और अनुप्रयोग चार्ट 2.1 और चार्ट 2.2 में दिया गया है।



² पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 में सार्वजनिक ऋण प्राप्ति में ₹ 7,941.45 करोड़ (70.95 प्रतिशत) की कमी के कारण

³ वर्ष 2021-22 के लिए ऋण प्राप्तियों के अंतर्गत बैंक टू बैंक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 6,193 करोड़ को छोड़ने के बाद प्राप्त हुआ, जिसमें राज्य की कोई पुनर्भुगतान देनदारी नहीं है। 2022-23 के दौरान भारत सरकार से कोई बैंक टू बैंक ऋण प्राप्त नहीं हुआ।

⁴ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के ₹ 14,451 करोड़ के अंतिम शेष को मुख्य शीर्ष '8450: केंद्र शासित प्रदेशों का शेष खाता' के अंतर्गत दर्शाया गया है जिसका यूनिजन कैश बैलेंस में विलय हो जाता है।

2.3 रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के संसाधन

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के संसाधनों को नीचे वर्णित किया गया है:


1. **राजस्व प्राप्तियों** में कर राजस्व, गैर-कर राजस्व और भारत सरकार (भा.स.) से सहायता अनुदान शामिल होते हैं।
2. **पूंजीगत प्राप्तियों** (ऋण और गैर-ऋण प्राप्तियां) में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा सा.क्षे.उ. आदि को वितरित ऋण तथा अग्रिम की वसूलियां, भा.स. से ऋण द्वारा प्राप्तियां तथा विभिन्न पूंजीगत प्राप्तियां शामिल होती हैं।

राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियां दोनों ही रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के समेकित निधि का भाग होती हैं।

2.3.1 रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की प्राप्तियां

समग्र प्राप्तियों की संरचना को नीचे चार्ट 2.3 में दिया गया है।

चार्ट 2.3: 2022-23 के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की प्राप्तियों की संरचना



*आरंभिक शेष तथा आकस्मिक निधि को छोड़कर

#कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर दर्शाते हैं।

2.3.2 रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की राजस्व प्राप्तियां

राजस्व प्राप्तियों में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के कर, गैर-कर राजस्व तथा भा.स. से सहायता अनुदान शामिल होते हैं।

2.3.2.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां तथा वृद्धि

राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि में प्रवृत्तियां, स.रा.घ.उ. के सापेक्ष में राजस्व प्राप्तियां एवं उत्प्लावकता अनुपात तथा राजस्व प्राप्तियों की संरचना तालिका 2.3 एवं चार्ट 2.4 में दी गई है।

तालिका 2.3: राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

मापदंड	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राजस्व प्राप्तियां (रा.प्रा.)	43,113	47,136	41,864	49,313 ⁵	62,703
रा.प्रा. की वृद्धि की दर (प्रतिशत)	11.50	9.33	(-)11.18	17.79	27.15
स्वयं के कर राजस्व (क)	36,625	36,566	29,425	40,019	47,363
स्वयं के गैर-कर राजस्व (ख)	644	1,097	980	827	581
स्वयं के राजस्व (क+ख)	37,269	37,663	30,405	40,846	47,944
स्वयं के राजस्व की वृद्धि दर (प्रतिशत)	2.15	1.06	(-)19.27	34.34	17.38
भा.स. से सहायता अनुदान	5,844	9,473	11,459	8,467	14,759
भा.स. से सहायता अनुदान की वृद्धि दर (प्रतिशत)	167.58	62.10	20.96	(-) 26.11	74.31
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) (2011-12 श्रेणी)	7,38,389	7,92,911	7,63,435	9,04,642	10,43,759
स.रा.घ.उ. की वृद्धि की दर (प्रतिशत)	8.92	7.38	(-) 3.72	18.50	15.38
रा.प्रा./सं.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	5.84	5.94	5.48	5.45	6.01
उत्प्लावकता अनुपात ⁶					
स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	1.29	1.26	*	0.96	1.77
स.रा.घ.उ. के संदर्भ में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की स्वयं का राजस्व उत्प्लावकता	0.24	0.14	*	1.86	1.13

स्रोत: अर्थशास्त्र तथा सांख्यिकी निदेशालय रा.रा.क्षे.दि.स.

*चूंकि स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर ऋणात्मक थी, इसीलिए उत्प्लावकता की गणना नहीं की गई थी।

⁵ जीएसटी क्षतिपूर्ति (राज्यों को क्षतिपूर्ति) जीएसटी अधिनियम, 2017 के अंतर्गत राज्य सरकार का राजस्व है। दिल्ली को रा.रा.क्षे.दि.स. की ऋण प्राप्तियों के अंतर्गत 2020-21 और 2021-22 के दौरान क्रमशः ₹ 5,865 करोड़ और ₹ 6,193 करोड़ का बैंक टू बैंक ऋण राज्य के लिए देयता के पुनर्भुगतान किए बिना मिला। इस व्यवस्था के कारण, राजस्व प्राप्ति को जीएसटी क्षतिपूर्ति के बदले ऋण प्राप्ति के साथ जोड़कर पढ़ा जा सकता है।

⁶ उत्प्लावकता अनुपात मूल विभिन्नताओं में दिए गए बदलाव के संदर्भ में राजकोषीय विभिन्नताओं की जवाबदेही की शिथिलता तथा मात्रा को दर्शाता है। उदाहरणार्थ स.रा.घ.उ. के संबंध में राजस्व उत्प्लावकता 1.77 पर है जिसका तात्पर्य है कि यदि स.रा.घ.उ. में एक प्रतिशत की वृद्धि होती है तो राजस्व प्राप्तियां 1.77 प्रतिशत बिंदू बढ़ जाती हैं।


राजस्व प्राप्तियां 11 प्रतिशत वार्षिक औसत वृद्धि दर से 2018-19 में ₹ 43,113 करोड़ से 45.44 प्रतिशत बढ़कर 2022-23 में ₹ 62,703 करोड़ हो गई। राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि मुख्य रूप से 2018-19 से 2022-23 तक स्वयं के कर राजस्व में ₹ 10,738 करोड़ (29.32 प्रतिशत) की वृद्धि के कारण हुई।

दूसरी ओर, भारत सरकार की ओर से सहायता अनुदान में 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान ₹ 8,915 करोड़ (152.55 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। हालाँकि, इसमें वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में ₹ 6,292 करोड़ (74.31 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण जीएसटी के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व हानि के लिए पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 6,371.06 करोड़ (98.84 प्रतिशत) का बढ़ा हुआ क्षतिपूर्ति था।

2022-23 के दौरान, राजस्व प्राप्तियां पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 13,390 करोड़ (27.15 प्रतिशत) बढ़ गई, जो विशेष रूप से स्वयं के कर राजस्व में ₹ 7,344 करोड़ (18.35 प्रतिशत) वृद्धि और केंद्र सरकार से प्राप्त ₹ 6,292 करोड़ (74.31 प्रतिशत) के कारण था।

कुल राजस्व प्राप्तियों में रा.रा.क्षे.दि.स. के स्वयं के कर राजस्व का हिस्सा 2018-19 में 84.95 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 75.54 प्रतिशत हो गया। इसका कारण उक्त अवधि के दौरान स्वयं के कर राजस्व की वृद्धि (29.32 प्रतिशत) की तुलना में राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (45.44 प्रतिशत) में वृद्धि होना है। 2018-19 के दौरान, रा.रा.क्षे.दि.स. के अपने संसाधनों से राजस्व प्राप्तियां लगभग 86.44 प्रतिशत थी जबकि सहायता अनुदान का योगदान 13.56 प्रतिशत था। वर्ष 2022-23 में, रा.रा.क्षे.दि.स. के अपने संसाधनों से राजस्व प्राप्तियां लगभग 76.46 प्रतिशत थीं जबकि सहायता अनुदान का योगदान 23.54 प्रतिशत था।

चार्ट 2.4: 2018-2023 के दौरान स.रा.घ.उ. से संबंधित राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियां




रा.रा.क्षे. दिल्ली की स.रा.घ.उ. 2018-19 में ₹ 7,38,389 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹ 10,43,759 करोड़ (41.36 प्रतिशत) हो गई। 2021-22 की तुलना में, स.रा.घ.उ. (₹ 9,04,642 करोड़) में वृद्धि होकर 2022-23 में ₹ 10,43,759 करोड़ (15.38 प्रतिशत) हो गई। जैसा कि चार्ट 2.4 से स्पष्ट है, स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में राजस्व प्राप्तियां 2018-19 में 5.84 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 6.01 प्रतिशत हो गई। वर्ष 2018-19 से 2019-20 की अवधि के लिए स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दी, लेकिन 2020-21 में घट गई। 2021-22 के दौरान यह लगभग स्थिर रही और इसके बाद 2022-23 में बढ़ गई। 2022-23 में स.रा.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियों में तीव्र उछाल पिछले वर्ष की तुलना में स्वयं के कर राजस्व में 18.35 प्रतिशत की वृद्धि और केंद्र सरकार से सहायता अनुदान में 74.31 प्रतिशत की वृद्धि के कारण है।

स.रा.घ.उ. के संबंध में राजस्व उत्प्लावकता 2018-19 में 1.29 से बढ़कर 2022-23 में 1.77 हो गया। स.रा.घ.उ. के संबंध में राज्य की अपनी राजस्व उत्प्लावकता 2018-19 में 0.24 से बढ़कर 2022-23 में 1.13 हो गई।

पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष 2022-23 के दौरान सहायता अनुदान में वृद्धि मुख्य रूप से जीएसटी क्षतिपूर्ति में ₹ 6,445.95 करोड़ (2021-22) से ₹ 12,817.01 करोड़ (2022-23) पर्याप्त वृद्धि के कारण थी।

राजस्व प्राप्तियों के संघटकों की प्रवृत्तियों को चार्ट 2.5 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.5 : राज्य की राजस्व प्राप्तियों में संघटकों की प्रवृत्तियां



स्रोत: वित्त लेखे

वित्त वर्ष 2018-19 से 2019-20 के लिए स्वयं का कर राजस्व लगभग समान रहा, लेकिन 2020-21 में कमी आई और एसजीएसटी (₹ 5,061 करोड़) की बढ़ी हुई प्राप्तियों और राज्य मोटर वाहन कराधान अधिनियम के अंतर्गत बढ़ी हुई प्राप्तियों (₹ 842.50 करोड़) के कारण 2021-22 की तुलना में 2022-23 में ₹ 7,344 करोड़ (18.35 प्रतिशत) की उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

गैर-कर राजस्व 2018-19 में ₹ 644 करोड़ से बढ़कर 2019-20 में ₹ 1,097 करोड़ हो गया, लेकिन 2020-21 में ₹ 980 करोड़ से घटकर 2022-23 में ₹ 581 करोड़ हो गया, जिसका मुख्य कारण ब्याज प्राप्तियों में ₹ 297.67 करोड़ (83.71 प्रतिशत) की कमी थी।

2.3.2.2 रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के स्वयं के संसाधन


संसाधनों के संग्रह में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार का निष्पादन उसके अपने संसाधनों के मूल्यांकन, जिसमें स्वयं के कर एवं गैर-कर शामिल हैं, से होता है।

स्वयं का कर राजस्व

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के स्वयं के कर राजस्व में राज्य जीएसटी, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, स्टाम्प ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क, भू-राजस्व इत्यादि सम्मिलित होते हैं। 2018-19 से 2022-23 तक की अवधि के दौरान रा.रा.क्षे

दिल्ली सरकार के स्वयं कर राजस्व के संघटकों की प्रवृत्ति को तालिका 2.4 तथा चार्ट 2.6 में दिखाया गया है।

चार्ट 2.6: 2018-19 से 2022-23 के दौरान स्वयं के कर राजस्व की प्रवृत्ति



तालिका 2.4: रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार के स्वयं के कर राजस्व के संघटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	स्पार्क लाइन
राज्य वस्तु तथा सेवा कर (एसजीएसटी)	19,187	19,465	15,676	22,263	27,324	
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	5,886	5,475	4,411	5,099	5,582	
राज्य उत्पाद शुल्क	5,028	5,068	4,108	5,488	5,548	
वाहनों पर कर	2,055	1,948	1,676	1,956	2,884	
स्टाम्प ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क	4,459	4,606	3,549	5,212	6,023	
भू-राजस्व	0	3	4	0	0	
अन्य कर ⁷	10	1	1	1	2	
कर राजस्व	36,625	36,566	29,425	40,019	47,363	

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

⁷ अन्य करों में मनोरंजन कर, बैटिंग कर, विलासिता कर तथा केबल कर शामिल हैं।


तालिका 2.5: वर्ष 2022-23 के लिए ब.अ./पु.अ. की तुलना में रा.रा.क्षे.दि.स. का वास्तविक स्वयं का कर राजस्व

राजस्व शीर्ष	ब.अ. (प्राप्ति बजट 2022-23 के अनुसार) (₹ करोड़ में)	पु.अ. (प्राप्ति बजट 2023-24 के अनुसार) (₹ करोड़ में)	वास्तविक (₹ करोड़ में)	ब.अ. और वास्तविक के बीच अंतर (₹ करोड़ में)	पु.अ. और वास्तविक के बीच अंतर (₹ करोड़ में)	ब.अ. की तुलना में प्रतिशतता (+) अधिक्य (-) कमी	पु.अ. की तुलना में प्रतिशतता (+) अधिक्य (-) कमी
राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी)	26,000	28,000	27,324	1,324	(-)676	5.09	(-)2.41
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	5,200	5,200	5,582	382	382	7.35	7.35
राज्य उत्पाद शुल्क	9,500	6,500	5,548	(-)3,952	(-)952	(-)41.6	(-)14.65
वाहनों पर कर	2,000	2,750	2,884	884	134	44.2	4.87
स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क	4,997	5,998	6,023	1,026	25	20.53	0.42
भू-राजस्व	3	2	0	(-)3	(-)2	(-)100	(-)100
अन्य कर	0	0	2	2	2	-	-
कुल	47,700	48,450	47,363⁸	(-) 337	(-)1,087	(-)0.71	(-)2.24

अन्य करों में मनोरंजन कर, बैटिंग कर, विलासिता कर तथा केबल कर शामिल हैं।

2022-23 के दौरान, बजट अनुमानों की तुलना में राज्य उत्पाद शुल्क और भू-राजस्व में कमी रही।

चार्ट 2.7: एसजीएसटी संग्रहण में प्रवृत्तियां



जीएसटी संग्रह 2021-22 में ₹ 5,061 करोड़ (22.73 प्रतिशत) बढ़कर ₹ 22,263 करोड़ से 2022-23 में ₹ 27,324 करोड़ हो गया। यह मुख्य रूप से एसजीएसटी

⁸ 2022-23 के दौरान वास्तविक कर उछाल 0.71 के अनुमान के मुकाबले 1.19 था (ब.अ. में वृद्धि दर/स.रा.घ.उ. में वृद्धि दर)।

और आईजीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट क्रॉस उपयोग में ₹ 2,628 करोड़ की वृद्धि के कारण था, साथ ही पिछले वर्ष की तुलना में आईजीएसटी आवंटन में ₹ 483 करोड़ की वृद्धि हुई।

आरबीआई के लेखे के अनुसार एसजीएसटी की राशि ₹ 27,324.11 करोड़ है जो रा.रा.क्षे.दि.स. वित्त लेखे में दर्शाए गए विवरण से मेल खाती थी।

एकीकृत वस्तु तथा सेवा कर (आईजीएसटी)

रा.रा.क्षे.दि.स., भारत सरकार से आईजीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट तथा एसजीएसटी/यूटीजीएसटी के उपयोग किए जाने के आधार पर केंद्र द्वारा संग्रहित आईजीएसटी के निपटान के प्रति निधियां प्राप्त करती है जिसको एसजीएसटी के अंतर्गत लेखाबद्ध किया जाता है। वर्ष 2022-23 के दौरान एसजीएसटी के अंतर्गत प्राप्त ₹ 27,324 करोड़ में से ₹ 14,665 करोड़ आईजीएसटी के रूप में प्राप्त हुए थे। वर्ष 2020-21, 2021-22 तथा 2022-23 के दौरान प्राप्त की गई निधियों के विवरणों को तालिका 2.6 में दिया गया है।

तालिका 2.6: 2020-21 से 2022-23 की अवधि के लिए
आईजीएसटी प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2020-21	2021-22	2022-23
इनपुट टैक्स क्रेडिट	2,626	3,761	6,389
आईजीएसटी का आवंटन (कर)	3,454	6,820	7,289
आईजीएसटी का आवंटन (ब्याज)	0	5	19
आईजीएसटी का अग्रिम आवंटन	1,593	1,413	968
कुल	7,673	11,999	14,665

राजस्व के बकाये

राजस्व के बकाये सरकार को बकाया/देय राजस्व की देरी से प्राप्ति को दर्शाता है। व्यापार तथा कर विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार मुख्य शीर्ष '0040 - बिक्री पर कर, व्यापार' आदि के अंतर्गत 31 मार्च 2023 तक राजस्व बकायों के विवरणों की सूचना के अनुसार पिछले पांच वर्षों से अधिक के लिए ₹ 70,410 करोड़ की राशि में से ₹ 46,037 करोड़ की राशि बकाया थी।

निर्धारण के बकाये

निर्धारण के बकाये संभावित राजस्व को दर्शाते हैं जो कि विलम्बित निर्धारण के कारण अवरूद्ध थे। वर्ष के आरंभ में लम्बित मामले, निर्धारण के लिए देय मामले, वर्ष के दौरान निपटान किए गए मामले तथा वर्ष के अंत में अंतिम रूप दिए जाने के लिए लंबित मामलों की संख्या को तालिका 2.7 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.7: निर्धारण के बकाये

राजस्व शीर्ष	मामलों के प्रारंभिक शेष	2022-23 के दौरान निर्धारण के लिए देय नये मामले	कुल निर्धारण देय	2022-23 के दौरान निपटान किए गए मामले	वर्ष के अन्त में शेष	निपटान की प्रतिशतता
0040 'बिक्री, व्यापार आदि पर कर	-	91,601	91,601	91,601	0	100

स्रोत: व्यापार तथा कर विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स.

विभाग द्वारा पता लगाए गए कर के अपवंचन, रिफंड के मामले इत्यादि का विवरण

आबकारी तथा कर विभाग द्वारा पता लगाए गए कर के अपवंचन के मामले, अंतिम रूप दिए गए मामले तथा उद्घृत किए गए अतिरिक्त कर हेतु मांग राज्य सरकार के राजस्व संग्रहण के प्रयत्नों का महत्वपूर्ण संकेतक है। रिफंड के मामले के निपटान में तत्परता विभाग के निष्पादन का महत्वपूर्ण संकेतक है।

रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा दिए गए सूचना के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए पता लगाए गए कर के अपवंचन के मामले तथा रिफंड मामलों के विवरणों को तालिका 2.8 तथा तालिका 2.9 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.8: पता लगाए गए कर के अपवंचन

राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2022 तक लंबित मामले	2022-23 के दौरान पता लगाए गए मामले	कुल	कुल मामलों की संख्या जिनमें निर्धारण/जांच पूरी की गई तथा अतिरिक्त मांग के साथ उद्घृत किए गए जुर्माने इत्यादि		31 मार्च 2023 तक अपील के अंतर्गत लंबित मामलों की संख्या
				मामलों की संख्या	मांग की राशि (₹ करोड़ में)	
जीएसटी	238	237	475	237	119.37	238

स्रोत: व्यापार एवं कर विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स.

तालिका 2.9: वर्ष 2022-23 के लिए रिफंड मामलों का विवरण

क्र. सं.	विवरण	जीएसटी		बिक्री कर /वैट	
		मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	वर्ष के आरंभ में बकाया दावे	5507	1109.82	11292	1150.99
2	वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए दावे	27915	4926.45	3	0.09
3	वर्ष के दौरान किए गए रिफंड	21020*	2391.57	6607	256.52
4	वर्ष के दौरान अस्वीकृत प्रतिभागी/समायोजित रिफंड		880.39	2705	40
5	वर्ष के अंत में बकाया शेष#	4,631#	1,493.18	4,688	854.56

* विभाग के पास उपलब्ध मामलों (रिफंड किया गया/ अस्वीकृत) की संख्या के लिए कोई अलग से कॉलम नहीं है।

जीएसटी और व्यापार एवं कर विभाग ने कहा (अक्टूबर 2023) कि जीएसटीएन पोर्टल में दर्शाए गए शेष बकाया दावों में अंतर था तथा इसकी अंकगणितीय गणना के लिए जीएसटीएन से स्पष्टीकरण मांगा गया था।

गैर-कर राजस्व

गैर-कर राजस्व में ब्याज प्राप्तियां, लाभांश तथा लाभ, विभागीय प्राप्तियां इत्यादि शामिल होते हैं। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के गैर-कर राजस्व तथा प्रवृत्तियों के संघटक तालिका 2.10 तथा चार्ट 2.8 में दिए गए हैं।

तालिका 2.10: रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के गैर-कर राजस्व के संघटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
ब्याज प्राप्तियां	113	404	468	356	58
लाभांश तथा लाभ	15	16	10	90	104
अन्य गैर-कर राजस्व प्राप्तियां	516	677	502	381	419
क) लोक निर्माण	18	13	43	23	43
ख) शिक्षा	29	27	79	10	8
ग) चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य	103	112	95	97	116
घ) पॉवर	53	87	33	52	61
ड) अन्य इत्यादि	313	438	252	199	191
कुल गैर-कर राजस्व	644	1,097	980	827	581

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

गैर-कर राजस्व 2018-19 में ₹ 644 करोड़ से 9.78 प्रतिशत घटकर 2022-23 में ₹ 581 करोड़ हो गया। गैर-कर राजस्व जो कि 2022-23 के दौरान राजस्व प्राप्तियों (₹ 62,703 करोड़) का 0.93 प्रतिशत था, पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 246 करोड़ (29.75 प्रतिशत) कम हो गया जो मुख्य रूप से ब्याज प्राप्तियों में ₹ 298 करोड़ (83.71 प्रतिशत) की कमी के कारण हुआ।


वर्ष 2022-23 के लिए पु.अ. की तुलना में रा.रा.क्षे.दि.स. का वास्तविक स्वयं का गैर-कर राजस्व तालिका 2.11 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.11: वर्ष 2022-23 के लिए पु.अ. की तुलना में रा.रा.क्षे.दि.स. का वास्तविक स्वयं का गैर-कर राजस्व

(₹ करोड़ में)


गैर-कर राजस्व शीर्ष	पु.अ. (प्राप्ति बजट 2022-23 के अनुसार)	वास्तविक	पु.अ. और वास्तविक के बीच अंतर	पु.अ. की (+) अधिक्य/ (-) कमी की प्रतिशतता
ब्याज प्राप्ति	163	58	(-) 105	(-) 64.42
लाभांश और लाभ	40	104	(+)64	(+)160
अन्य गैर-कर प्राप्ति	398	419	(+) 21	(+)5.28
कुल	601	581	(-) 20	(-)3.33

चार्ट 2.8: गैर-कर राजस्व शीर्षों में प्रवृत्तियां



चार्ट 2.8 से स्पष्ट है कि अन्य गैर-कर राजस्व प्राप्ति 2018-19 से 2022-23 के दौरान ₹ 97 करोड़ (18.8 प्रतिशत) घट गई। हालांकि 2022-23 के दौरान, ₹ 38 करोड़ की मामूली वृद्धि हुई, जो मुख्य रूप से 'चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य' से बढ़ी हुई प्राप्ति (₹ 18.27 करोड़) के कारण थी। अन्य गैर-कर राजस्व प्राप्ति में प्रवृत्तियों को चार्ट 2.9 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.9: 'अन्य गैर-कर राजस्व' के शीर्षों में प्रवृत्तियां



2.3.2.3 भारत सरकार से सहायता अनुदान

भारत सरकार ने वर्ष 2018-19 के दौरान राज्यों को सहायता अनुदान (स.अ.) उपलब्ध कराए जाने के लिए योजना तथा गैर-योजना वर्गीकरण को बंद कर दिया था। वर्ष 2022-23 के दौरान, रा.रा.क्षे.दि.स. को भा.स. से ₹ 12,589 करोड़ के बजट अनुमान के मुकाबले ₹ 14,759 करोड़ (117.24 प्रतिशत) का सहायता अनुदान (स.अ.) प्राप्त हुआ। भा.स. से स.अ. के विवरण तालिका 2.12 में है:

तालिका 2.12: भारत सरकार से सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)


शीर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
केंद्र प्रायोजित योजनाएँ (सीएसएस)	807.03	1,169.48	1,441.46	991.93	981.79
सामान्य केंद्रीय योजना सहायता (ब्लॉक अनुदान)	449.99	472.00	626.00	626.00	626.00
अन्य अनुदान	79.75	70.56	शून्य	3.43	9.49
केंद्रीय करों में हिस्से के बदले अनुदान	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00
जीएसटी के कार्यान्वयन से उत्थित राजस्व की हानि का क्षतिपूर्ति	4,182.00	7,436.00	5,521.65	6,445.96	12817.02
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)	एनएसएपी योजना 2018-19 से सीएसएस में शामिल कर दी गई।				
केंद्रीय सड़क निधि (सीआरएफ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अन्य अनुदान (योजना)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दिल्ली आपदा प्रतिक्रिया फंड में योगदान	शून्य	शून्य	161.49	शून्य	शून्य
राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए सहायता अनुदान	शून्य	शून्य	3,383.00	शून्य	शून्य
प्राकृतिक आपदाओं के कारण सहायता के लिए अग्रिम वित्तीय सहायता के रूप में अनुदान	शून्य	शून्य	शून्य	75.00	शून्य
कुल	5,843.77	9,473.04	11,458.60	8,467.32	14759.30
राजस्व प्राप्तियों में स.अ. की प्रतिशतता	13.55	20.10	27.37	17.17	23.54

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

भा.स. से स.अ. 2018-19 में ₹ 5,843.77 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹ 14,759.30 करोड़ (152.56 प्रतिशत) हो गया। भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में 2022-23 में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 6,291.98 करोड़ (74.31) की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण जीएसटी के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व हानि के लिए ₹ 6,371.06 करोड़ (98.84 प्रतिशत) का बढ़ा हुआ क्षतिपूर्ति है।

दिल्ली, केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत नहीं आता है और केंद्रीय कर तथा शुल्कों के राज्य हिस्से के बदले में अनुदान प्राप्त करता है जो कि 2001-02 से ₹ 325 करोड़ तक स्थिर रहा। वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक की अवधि के लिए स.अ. में प्रवृत्तियों को चार्ट 2.10 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.10: सहायता अनुदान में प्रवृत्तियाँ



2.3.2.4 केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं

केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत भा.स. से प्राप्त सहायता अनुदान के उपयोग को सत्यापित करने के लिए विस्तृत अध्ययन के लिए पांच योजनाओं का चयन किया गया था।

जीएफआर 230(8) के अनुसार, किसी भी अनुदान प्राप्त संस्था को जारी किए गए सहायता अनुदान या अग्रिम (क्षतिपूर्ति के अलावा) के विरुद्ध सभी ब्याज या अन्य आय अनिवार्य रूप से लेखे को अंतिम रूप देने के तुरंत बाद भारत के समेकित निधि में प्रेषित की जानी चाहिए।

नियम 239 के अनुसार, केंद्रीय योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा प्राप्त केंद्रीय अनुदान के योजना के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) राज्य

सरकार द्वारा जीएफआर-12सी प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना है। यूसी “योजना को विनियमित करने वाले प्रभाग के प्रशासनिक सचिव/वित्त सचिव” द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:

ए) प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम-पोषण)

शिक्षा निदेशालय (डीओई) ने केंद्रीय प्रायोजित योजना पोषण शक्ति निर्माण (पीएम-पोषण) के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार (भा.स.) से 2022-23 के दौरान ₹ 140.98 करोड़ की सहायता अनुदान प्राप्त की। इसके अलावा, पिछले वर्ष (2021-22) का कुल अव्ययित शेष ₹ 33.47 करोड़ था और उक्त योजना के अंतर्गत केंद्र के हिस्से के मुकाबले वर्ष 2022-23 का प्रतिबद्ध दायित्व ₹ 74.29 करोड़ था।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

- i. केंद्र की कुल हिस्सेदारी ₹ 248.74 करोड़ (प्रतिबद्ध देयता और पिछले वर्ष की अव्ययित शेष राशि सहित) के मुकाबले, ₹ 235.48 करोड़ का व्यय किया गया, जिसके लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) डीओई द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 31 मार्च 2023 तक केंद्र के हिस्से के मुकाबले ₹ 13.26 करोड़ (5.33 प्रतिशत) की राशि अव्ययित रह गई (2022-23 के दौरान प्राप्त ₹ 1.36 करोड़ का ब्याज शामिल नहीं है)।
- ii. इसके अलावा, लेखापरीक्षा को प्रस्तुत व्यय विवरण से पता चला कि राज्य के हिस्से के मुकाबले प्राप्त ₹ 134.22 करोड़ की कुल धनराशि (वर्ष 2022-23 के लिए ₹ 82.80 करोड़ और वर्ष 2020-21 की प्रतिबद्ध देनदारी के रूप में ₹ 46.57 करोड़ और अव्ययित शेष ₹ 4.85 करोड़), डीओई ने ₹ 143.53 करोड़ का व्यय किया जिसके परिणामस्वरूप उक्त योजना के अंतर्गत राज्य के हिस्से के मुकाबले ₹ 9.31 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।
- iii. केंद्र और राज्य के हिस्से घाटे को दर्शाने वाली एकल नोडल खाता (एसएनए)-05 रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार ने कोषागार से एसएनए को केंद्रीय शेयर हस्तांतरण के रूप में ₹ 50.33 करोड़ का अतिरिक्त

हिस्सा हस्तांतरित किया, जबकि रा.रा.क्षे.दि.स. ने ₹ 1.52 करोड़ की कम निधि जारी की।

- iv. जून 2023 तक एसएनए खाते के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए उपार्जित ब्याज ₹ 1.36 करोड़ था। विभाग ने कहा (सितंबर 2023) कि विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए जून 2023 (सरकारी लेखे में ब्याज जमा करने की तिथि) तक सरकारी लेखे में जमा किया गया ब्याज ₹ 1.18 करोड़ था जिसके लिए ₹ 70.71 लाख की जमा पर्चों की प्रतिलिपि लेखापरीक्षा को प्रस्तुत की गई थी।

फिर भी जीएफआर 2017 के नियम 230(8) के उल्लंघन में ₹ 0.18 करोड़ की कम जमा राशि थी, जिसके लिए कारणों की प्रतीक्षा थी।

बी) समग्र शिक्षा (प्रारंभिक, माध्यमिक और अध्यापक शिक्षण)

केंद्र प्रायोजित योजना 'समग्र शिक्षा (प्रारंभिक, माध्यमिक और अध्यापक शिक्षण)' के कार्यान्वयन के लिए शिक्षा निदेशालय (डीओई) ने भारत सरकार से ₹ 225.09 करोड़ की अनुदान सहायता प्राप्त की। उक्त योजना के अंतर्गत पिछले वर्ष (2021-22) का ₹ 28.04 करोड़ का अव्ययित शेष भी था।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

- (i) ₹ 403.20 करोड़ (राज्य का हिस्सा ₹ 150.07 करोड़ सहित) की कुल निधि के मुकाबले, डीओई द्वारा ₹ 370.60 करोड़ का व्यय किया गया था और 31 मार्च 2023 तक ₹ 32.60 करोड़ का अव्ययित शेष था (इसमें वर्ष के दौरान उपार्जित ₹ 2.36 करोड़ ब्याज की राशि शामिल नहीं है)।
- (ii) लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2022-23 के दौरान उपार्जित कुल ब्याज की राशि ₹ 2.36 करोड़ को समेकित निधि में प्रेषित नहीं किया गया था जो जीएफआर, 2017 के नियम 230(8) का उल्लंघन है।
- (iii) केंद्र और राज्य के हिस्से में कमी को दर्शाने वाली एसएनए-05 रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार ने कोषागार से एसएनए को केंद्रीय हिस्सा हस्तांतरण के रूप में ₹ 11.79 करोड़ का अतिरिक्त हिस्सा हस्तांतरित किया, जबकि रा.रा.क्षे.दि.स. ने ₹ 86.91 करोड़ का अतिरिक्त निधि जारी किया।

- (iv) अभिलेख में यूसी जीएफआर के नियम 239 के अंतर्गत अनिवार्य निर्धारित प्रारूप में नहीं था और डीओई द्वारा भारत सरकार (भा.स.) को केवल अनंतिम उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी किया गया था। निर्धारित प्रारूप में यूसी जारी न करने के कारणों की प्रतीक्षा है।

सी) दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन (डीएसएचएम)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (डीएचएफडब्ल्यू) ने दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन (डीएसएचएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार से 2022-23 के दौरान शून्य सहायता अनुदान प्राप्त किए। इसके अलावा, उक्त योजना के अंतर्गत पिछले वर्ष (2021-22) का कुल ₹ 398.72 करोड़ अव्ययित शेष रह गया।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

- (i) लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹ 432.56 करोड़ (राज्य के ₹ 33.84 करोड़ के हिस्से सहित) के कुल निधि के मुकाबले, ₹ 242.79 करोड़ का व्यय किया गया था, जिसके लिए डीएचएफडब्ल्यू ने भारत सरकार को यूसी प्रस्तुत किए थे। 31 मार्च 2023 तक ₹ 189.78 करोड़ की राशि अव्ययित रह गई (इसमें वर्ष के दौरान उपार्जित ₹ 6.43 करोड़ का ब्याज शामिल नहीं है)।
- (ii) भारत सरकार से प्राप्त अनुदान से वर्ष के दौरान उपार्जित कुल ब्याज ₹ 11.89 करोड़ में से, डीएचएफडब्ल्यू ने ₹ 5.46 करोड़ का ब्याज भारत सरकार के लेखे में वापस कर दिया। हालाँकि ₹ 6.43 करोड़ का शेष ब्याज अभी भी भारत सरकार के लेखे में प्रेषित होना बाकी है, जो जीएफआर, 2017 के नियम 230 (8) का उल्लंघन था।
- (iii) लेखापरीक्षा में पाया गया कि, आईडीआईजीआईपीएवाई बैंक खाते (एसएनए खाता) में दर्शाए गए व्यय के विवरण में दर्शाए गए आंकड़े और वर्ष 2022-23 के लिए सीएसएस योजना के लिए यूसी में दर्शाए गए व्यय मेल नहीं खाते। वर्ष 2022-23 के लिए समेकित यूसी के अनुसार बुक किया गया कुल व्यय ₹ 242.79 करोड़ है, जबकि आईडीआईजीआईपीएवाई में दर्शाए गए व्यय का आंकड़ा ₹ 180.35 करोड़ था।

डीएसएचएम ने कहा (सितंबर 2023) कि राज्य स्वास्थ्य सोसायटी दिल्ली ने आईसीआईसीआई बैंक द्वारा प्रदान किए गए भुगतान डैशबोर्ड के रूप में पीएफएमएस पर मॉडल-1 को चुना था। बैंक के अधिदेश के अनुसार, आईसीआईसीआई के भुगतान डैशबोर्ड के माध्यम से किए गए सभी लेनदेन पीएफएमएस पर प्रतिबिंबित होते हैं, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक सीएसएस भुगतान के लिए पीएफएमएस के साथ एकीकृत है। हालांकि, इस समय, आईसीआईसीआई बैंक और पीएफएमएस के बीच तकनीकी मुद्दों के कारण मॉडल-1 पर आईडीआईजीआईपीएवाई सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया गया व्यय पूरी तरह से पीएफएमएस पर प्रतिबिंबित नहीं होता है।

डीएसएचएम से अनुरोध है कि मामले को लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए आईसीआईसीआई बैंक और सीजीए (जो पीएफएमएस का प्रबंधन करता है) के साथ उठाएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऊपर उद्धृत तकनीकी मुद्दों को जल्द से जल्द हल किया जाए और मॉडल-1 पर आईडीआईजीआईपीएवाई सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया गया व्यय पूरी तरह से मेल खाए जो पीएफएमएस पर प्रतिबिंबित होते हैं।

डी) कायाकल्प और शहरी रूपांतरण के लिए अटल मिशन (एएमआरयूटी) 2.0

यूडी (डीयूडी) विभाग ने केंद्र प्रायोजित एएमआरयूटी 2.0 योजना के अंतर्गत राज्य जल अभियान योजना (एसडब्ल्यूएपी) की परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार से वर्ष 2022-23 के लिए ₹ 211.41 करोड़ का सहायता अनुदान प्राप्त किया।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

(i) व्यय का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया था और डीयूडी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख बतलाता है कि ₹ 211.41 करोड़ का सहायता अनुदान 31 मार्च 2023 तक अव्ययित रहा।

(ii) इसके अलावा, एएमआरयूटी 2.0 के अंतर्गत शहरी जल संतुलन योजना (सीडब्ल्यूबीपी) तैयार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा डीयूडी को केंद्रीय सहायता के रूप में ₹ 0.90 करोड़ जारी किए गए (जनवरी 2022)। यह राशि केंद्रीय सहायता जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर स्थानीय नोडल

एजेंसियों (एसएनए) यानी मिशन निदेशक के खाते में भेजा जाना आवश्यक था। राशि 29 अगस्त 2022 को यानी 7 महीने की देरी के बाद नामित एसएनए खाते में स्थानांतरित की गई थी। यह राशि अव्ययित पड़ी हुई है, जिसके लिए विभाग ने (सितंबर 2023) वित्त विभाग द्वारा जारी प्राधिकरण में त्रुटि को जिम्मेदार ठहराया है।

विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि देरी होने से केंद्रीय सहायता का उद्देश्य बाधित हुआ।

ई) एनएफएसए (सीएसएस) के अंतर्गत खाद्यान्न और एफपीएस डीलरों के मार्जिन के अंतर-राज्य संचालन के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता

खाद्य, आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के विभाग (डीएफसीए) को खाद्यान्न और एफपीएस डीलरों के अंतर-राज्य संचालन के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता की केंद्रीय प्रायोजित योजना और एनएफएसए (सीएसएस) के अंतर्गत मार्जिन के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार से 2022-23 के दौरान ₹ 23.99 करोड़ का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ। यह योजना 2022-23 में शुरू हुई।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

डीएफसीए ने कहा (सितंबर 2023) कि 31 मार्च 2023 तक ₹ 47.98 करोड़ (राज्य का हिस्सा ₹ 23.99 करोड़ सहित) बकाया राशि था, जो बतलाता है कि वर्ष 2022-23 के दौरान योजना पर कोई खर्च नहीं किया गया। इसमें कहा गया है कि केंद्र का हिस्सा 20 मार्च 2023 को स्वीकृत किया गया था और राज्य के हिस्से के साथ पूरी राशि 31 मार्च 2023 को एसएनए बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी गई थी।

हालांकि डीएफसीए द्वारा भारत सरकार को प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) के अनुसार, ₹ 23.99 करोड़ का संपूर्ण केंद्रीय हिस्सा वर्ष 2022-23 के दौरान उपयोग के रूप में दिखाया गया था और 31 मार्च 2023 तक "शून्य" अव्ययित शेष था।

लेखापरीक्षा का मानना है कि या तो विभाग ने लेखापरीक्षा को भ्रामक जानकारी दी या डीएफसीए द्वारा भारत सरकार को प्रस्तुत यूसी में केंद्रीय शेयर की पूरी राशि के पूर्ण उपयोग की सूचना देकर गलत जानकारी दी गई। इस मामले पर

लेखापरीक्षा में स्पष्टीकरण मांगा गया था (सितंबर 2023) जिसके लिए उत्तर प्रतीक्षित है।

2.3.2.5 एकल नोडल एजेंसी

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली ने कार्यालय जापन संख्या (13)पीएफएमएस/एफसीडी/2020 दिनांक 8 दिसंबर 2021 के माध्यम से प्रावधान किया कि प्रत्येक राज्य सरकार को प्रत्येक केंद्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) को कार्यान्वित करने के लिए एक एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) नामित करना आवश्यक है। एकल नोडल एजेंसी राज्य सरकार द्वारा कार्य संचालित करने के लिए अधिकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में राज्य स्तर पर प्रत्येक सीएसएस के लिए एकल नोडल खाता खोलेगी। इसके अलावा, नई प्रक्रिया के अनुसार, यह सुनिश्चित करना संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि सभी कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) द्वारा पूरी अव्ययित राशि एकल नोडल एजेंसी के एकल नोडल खाते में वापस कर दी जाए। पीएफएमएस पोर्टल पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 2022-23 के दौरान एकल नोडल एजेंसियों को ₹ 2673.03 करोड़ (भारत सरकार का हिस्सा ₹ 1,335.36 करोड़ और राज्य सरकार का हिस्सा ₹ 1337.67 करोड़) हस्तांतरित किए गए। पीएफएमएस पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 31 मार्च 2023 तक एकल नोडल एजेंसियों के बैंक खातों में ₹ 902.89 करोड़⁹ बिना खर्च किए पड़े थे।

वर्ष 2022-23 के लिए पीएफएमएस पोर्टल की रिपोर्ट की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित नोट किया:

- (i) 6 सीएसएस में, भारत सरकार ने रा.रा.क्षे.दि.स. को ₹ 28.09 करोड़ हस्तांतरित किए, जिसके मुकाबले उसने एसएनए के खाते में केंद्र सरकार के हिस्से के रूप में केवल ₹ 16.19 करोड़ जारी किए, परिणामस्वरूप ₹ 11.90 करोड़ का कम हस्तांतरण हुआ।
- (ii) 2022-23 के दौरान 31 राज्य से जुड़ी योजनाओं में ₹ 711.92 करोड़ की अव्ययित शेष राशि थी।
- (iii) रा.रा.क्षे.दि.स. ने 13 सीएसएस में अपने आनुपातिक राज्य के हिस्से से अधिक ₹ 903.88 करोड़ की निधि जारी की।

⁹ पीएफएमएस पोर्टल पर 31 मार्च 2023 तक अव्ययित शेष राशि ₹ 822.93 करोड़ थी (29 फरवरी 2024)।

(iv) रा.रा.क्षे.दि.स. ने अपने आनुपातिक राज्य के हिस्से के संबंध में चार केंद्र प्रायोजित योजनाओं में ₹ 64.55 करोड़ की कम निधि जारी की।

(v) 13 राज्य से जुड़ी योजनाओं में ₹ 26.40 करोड़ की प्रतिकूल शेष राशि थी जिससे पता चला कि इन योजनाओं में अतिरिक्त व्यय किया गया था।

2.3.3 पूंजीगत प्राप्तियाँ

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की पूंजीगत प्राप्तियों में रा.रा.क्षे.दि.स. (गैर-ऋण) द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिमों की वसूली और भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम (ऋण) शामिल हैं। पांच वर्षों (2018-19 से 2022-23 तक) के दौरान पूंजीगत प्राप्तियों का विवरण तालिका 2.13 में दिया गया है।

तालिका 2.13: पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि एवं संघटक में प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

रा.रा.क्षे.दि.स. की प्राप्तियों के स्रोत	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
पूंजीगत प्राप्तियाँ (ऋण और गैर-ऋण)	4,524	5,588	15,996	11,816	4509
भारत सरकार से ऋण और अग्रिम (ऋण)#	2,880	4,765	15,365	11,193	3251
ऋण एवं अग्रिम की वसूली (गैर-ऋण)	1,644	823	631	623	1258
आंतरिक ऋण ¹⁰	लागू नहीं				
वृद्धि दर	लागू नहीं				
ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर ^{##}	51.10	65.45	99.37	(-) 47.37	(-)34.98
गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	137.92	(-)49.94	(-)23.33	(-)1.27	101.93
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर	8.92	7.38	(-)3.72	18.50	15.38
पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	74.20	23.52	186.26	(-)26.13	(-)61.84

स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय और संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान, इसमें जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के बदले भारत सरकार से बैंक टू बैंक ऋण के रूप में क्रमशः ₹ 5,865 करोड़ और ₹ 6,193 करोड़ शामिल हैं, जिन्हें राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।

वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर की गणना 2020-21 और 2021-22 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त क्रमशः ₹ 5,865 करोड़ और ₹ 6,193 करोड़ के जीएसटी क्षतिपूर्ति को छोड़कर की गई है।

चालू वर्ष के दौरान, जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के एवज में 2021-22 के दौरान भारत सरकार द्वारा दिए गए बैंक टू बैंक ऋण को छोड़कर, जिसे राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है, उधार पूंजी प्राप्तियाँ 2021-22 में ₹ 5,000 करोड़ से (-) 34.98 प्रतिशत घटकर 2022-23 में ₹ 3,251 करोड़ हो

¹⁰ रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की कोई आंतरिक ऋण नहीं है।

गया। गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां यानी ऋणों और अग्रिमों की वसूली 2021-22 में ₹ 623 करोड़ से 101.93 प्रतिशत बढ़कर 2022-23 में ₹ 1258 करोड़ हो गया।

2.4 संसाधनों का अनुप्रयोग

राज्य सरकार को वित्तीय उत्तरदायित्व विधानों के ढांचों के भीतर व्यय करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, साथ ही यह सुनिश्चित करना कि राज्य की चल रही वित्तीय सुधार और समेकन प्रक्रिया, पूंजीगत अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए किए जाने वाले व्यय की कीमत पर नहीं है। यह पैराग्राफ उप-पैराग्राफ के साथ राज्य में व्यय के आवंटन का विश्लेषण देता है। यह पैराग्राफ उप-पैराग्राफ के साथ राज्य में व्यय के आवंटन का विश्लेषण देता है।

2.4.1 व्यय की वृद्धि और संरचना

राजस्व व्यय: अनुरक्षण, रख-रखाव, मरम्मत और कार्यचालन खर्चों पर प्रभार, जो परिसंपत्तियों को चालू हालत में बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं, साथ ही स्थापना और प्रशासनिक खर्चों सहित संगठन के दिन-प्रतिदिन के संचालन के लिए किए गए अन्य सभी खर्चों को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

पूंजीगत व्यय: किसी परियोजना के प्रथम निर्माण के लिए सभी प्रभार, साथ ही कार्य के मध्यवर्ती अनुरक्षण के लिए प्रभार, जब तक कि उसे सेवा के लिए नहीं खोला जाता है, तथा ऐसे अतिरिक्त परिवर्धन और सुधार के लिए प्रभार, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाए गए नियमों के अंतर्गत स्वीकृत किए जा सकते हैं, पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किए जाएंगे।

ऋण और अग्रिम: सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) और अन्य पार्टियों को ऋण और अग्रिम।

पिछले पांच वर्षों (2018-19 से 2022-23) में कुल व्यय की प्रवृत्तियाँ और संरचना तालिका 2.14 और चार्ट 2.11 में दर्शाई गई है।


तालिका 2.14: कुल व्यय और इसकी संरचना

(₹ करोड़ में)

पैरामीटर	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
कुल व्यय (टीई) ¹¹	42,520	48,375	49,203	56,957	59,395
राजस्व व्यय (आरई)	36,852	39,637	40,414	46,043	48,246
पूंजीगत व्यय (सीई)	3,266	5,472	4,699	8,311	8,065
ऋण और अग्रिम (एल एंड ए)	2,402	3,266	4,090	2,603	3,084
स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में					
टीई/ स.रा.घ.उ.	5.76	6.10	6.44	6.30	5.69
आरई/ स.रा.घ.उ.	4.99	5.00	5.29	5.09	4.62
सीई/ स.रा.घ.उ.	0.44	0.69	0.62	0.92	0.77
एल एंड ए / स.रा.घ.उ.	0.33	0.41	0.54	0.29	0.30

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 2.11: कुल व्यय: प्रवृत्तियां और संरचना



चार्ट 2.11 से देखा जा सकता है कि व्यय 6.91 प्रतिशत¹² की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से लगातार बढ़कर ₹ 42,520 करोड़ (2018-19) से ₹ 59,395 करोड़ (2022-23) हो गया।

इसी प्रकार, राजस्व व्यय लगातार 5.54 प्रतिशत¹³ की सीएजीआर से ₹ 36,852 करोड़ (2018-19) से बढ़कर ₹ 48,246 करोड़ (2022-23) हो गया। पूंजीगत व्यय में अंतर-वर्षीय उतार-चढ़ाव ₹ 3,266 करोड़ (2018-19) से ₹ 8,065 करोड़ (2022-23) तक प्रदर्शित हुआ। चालू वित्तीय वर्ष (2022-23) में पूंजीगत व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 3 प्रतिशत की मामूली रूप से कमी आई।

¹¹ सार्वजनिक ऋण के पुनर्भुगतान को छोड़कर

¹² $\left(\left(\frac{59395}{42520}\right)^{\frac{1}{5}}-1\right)*100$


¹³ $\left(\left(\frac{48246}{36852}\right)^{\frac{1}{5}}-1\right)*100$

इसके अलावा, ऋण और अग्रिम का विवरण 2018-19 से 2020-21 के दौरान ₹ 2,402 करोड़ से बढ़कर ₹ 4,090 करोड़ हो गया, परंतु 2021-22 में ₹ 1,487 करोड़ (36 प्रतिशत) की उल्लेखनीय कमी के साथ ₹ 2,603 करोड़ हो गया और फिर बढ़कर 2022-23 में ₹ 3,084 करोड़ हो गया। चालू वर्ष में वृद्धि मुख्य रूप से पिछले वर्ष की तुलना में जल और स्वच्छता के लिए ऋण वितरण (₹ 899.16 करोड़) में वृद्धि के कारण थी।

व्यय के घटकों की हिस्सेदारी में प्रवृत्तियाँ

कुल व्यय (सार्वजनिक ऋण पुनर्भुगतान को छोड़कर) के घटकों की हिस्सेदारी की प्रवृत्ति चार्ट 2.12 में दर्शाई गई है। वर्ष 2022-23 के लिए राजस्व व्यय कुल व्यय का 81.23 प्रतिशत था जबकि पूंजीगत व्यय तथा ऋण और अग्रिम क्रमशः 13.58 प्रतिशत और 5.19 प्रतिशत था।

चार्ट 2.12: कुल व्यय: इसके घटकों की हिस्सेदारी में प्रवृत्तियाँ



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

व्यय के विभिन्न क्षेत्रों के सापेक्षिक हिस्से

व्यय के विभिन्न क्षेत्रों के सापेक्ष हिस्से तालिका 2.15 में दर्शाए गए हैं। कुल व्यय (सार्वजनिक ऋण को छोड़कर) में सामान्य सेवाओं का हिस्सा 2021-22 में 12.86 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 13.38 प्रतिशत हो गया।

तालिका 2.15: कुल व्यय में से विभिन्न क्षेत्रों का सापेक्षिक व्यय हिस्सा
(सार्वजनिक ऋण पुनर्भुगतान को छोड़कर)

(₹ करोड़ में)

पैरामीटर	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
सामान्य सेवाएं ¹⁴	7,785	7,472	6,541	7,326	7,947
सामाजिक सेवाएं ¹⁵	23,418	25,717	25,363	31,356	31,744
आर्थिक सेवाएं ¹⁶	6,550	8,041	10,297	12,203	12,297
अन्य (स्थानीय निकाय को सहायता अनुदान एवं अंशदान और रा.रा.क्षे.दि.स. के संस्थान, विभाग आदि को ऋण एवं अग्रिम)	4,767	7,145	7,002	6,072	7,407


सामाजिक सेवाओं का हिस्सा 2021-22 में 55.05 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 53.45 प्रतिशत हो गया, जिसका मुख्य कारण पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर व्यय में ₹ 847 करोड़ (9.42 प्रतिशत) की कमी है। इसके अलावा आर्थिक सेवाओं की हिस्सेदारी 2021-22 में 21.42 प्रतिशत से मामूली रूप से घटकर 2022-23 में 20.70 प्रतिशत हो गई, जिसका मुख्य कारण पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में सड़क परिवहन पर पूंजीगत व्यय में ₹ 252 करोड़ (19.72 प्रतिशत) की कमी है। स्थानीय निकायों को ऋण एवं अग्रिम और अनुदान के वितरण पर कुल व्यय 2021-22 में 10.66 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 12.47 प्रतिशत हो गया, जिसका मुख्य कारण पिछले वर्ष की तुलना में जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए ऋण के संवितरण में वृद्धि (₹ 899.16 करोड़) है। गतिविधियों द्वारा कुल व्यय चार्ट 2.13 में दर्शाया गया है।

¹⁴ इसमें प्रशासन और वित्तीय सेवाएं जैसे कि भू-राजस्व, उत्पाद शुल्क एवं जीएसटी, जेल, लोक निर्माण, आदि शामिल हैं।

¹⁵ इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास, शहरी विकास, श्रमिक कल्याण, सामाजिक कल्याण आदि शामिल हैं।

¹⁶ इसमें कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ, ग्रामीण विकास, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण आदि शामिल हैं।

चार्ट 2.13: कुल व्यय (सार्वजनिक ऋण को छोड़कर)-गतिविधियों द्वारा व्यय



2.4.2 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने और पिछले दायित्वों के भुगतान के लिए किया जाता है। इस प्रकार, इससे राज्य की अवसंरचना और सेवा नेटवर्क में कोई परिवर्धन नहीं होगा। तालिका 2.16 पांच वर्षों (2018-19 से 2022-23) में राजस्व व्यय को प्रस्तुत करती है। राजस्व व्यय 2018-19 में ₹ 36,852 करोड़ से 30.92 प्रतिशत बढ़कर 2022-23 में ₹ 48,246 करोड़ हो गया। यह 7.48 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि दर से बढ़ा जबकि स.रा.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में यह 4.99 प्रतिशत (2018-19) से घटकर 4.62 प्रतिशत (2022-23) हो गया। राजस्व व्यय 2021-22 में 4.78 प्रतिशत बढ़कर ₹ 46,043 करोड़ से 2022-23 में ₹ 48,246 करोड़ हो गया, जिसका मुख्य कारण पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में सामान्य शिक्षा पर व्यय में ₹ 1,927.48 करोड़ (18.74 प्रतिशत) की वृद्धि है।

तालिका 2.16: राजस्व व्यय-बुनियादी पैरामीटर

(₹ करोड़ में)

पैरामीटर	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
कुल व्यय (टीई)	42,520	48,375	49,203	56,957	59,395
राजस्व व्यय (पु.अ.)	36,852	39,637	40,414	46,043	48,246
पिछले वर्ष से पु.अ. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	9.18	7.56	1.96	13.93	4.78
टीई की प्रतिशतता के रूप में राजस्व व्यय	86.67	81.94	82.14	80.84	81.23
स.रा.घ.उ. (2011-12 श्रेणी)	7,38,389	7,92,911	7,63,435	9,04,642	10,43,759

(₹ करोड़ में)


पैरामीटर	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	8.92	7.38	(-)3.72	18.50	15.38
आरई/स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	4.99	5.00	5.29	5.09	4.62
राजस्व प्राप्ति की प्रतिशतता के रूप में आरई	85.48	84.09	96.54	93.37	76.94
स.रा.घ.उ. (अनुपात) के संदर्भ में राजस्व व्यय उछाल	1.03	1.02	*	0.75	0.31
राजस्व प्राप्तियों के संदर्भ में राजस्व व्यय उछाल	0.80	0.81	*	0.78	0.18

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

* चूंकि स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर ऋणात्मक थी इसलिए उछाल की गणना नहीं की गई।

2022-23 की अवधि के लिए राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण चार्ट 2.14 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.14: 2022-23 के लिए राजस्व व्यय का क्षेत्र-वार वितरण (प्रतिशत में)



2.4.2.1 राजस्व व्यय में मुख्य बदलाव

मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत 2021-22 की तुलना में 2022-23 के दौरान राजस्व व्यय में भिन्नता तालिका 2.17 में दर्शाई गई है:

तालिका 2.17: 2021-22 की तुलना में 2022-23 के दौरान मुख्य शीर्षों में राजस्व व्यय में भिन्नता

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखा शीर्ष	2021-22	2022-23	भिन्नता	वृद्धि (+)/ कमी (-) (प्रतिशत में)
2202-सामान्य शिक्षा	10,283.93	12,211.41	1,927.48	18.74
2210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	7,537.26	6,401.32	-1135.94	(-)15.07
2215-जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	1,136.53	1,747.43	610.90	53.75
3055-सड़क परिवहन	4,355.88	4,601.40	245.52	5.64
2801-पॉवर	3,266.97	3,182.48	(-)84.49	(-)2.59

राजस्व व्यय के मुख्य शीर्षों में प्रतिशत में बदलाव दो वर्ष की अवधि में भिन्नता को दर्शाता है। शीर्ष के अंतर्गत राजस्व व्यय:

(i) '2202-सामान्य शिक्षा' में ₹ 1,927.48 करोड़ (18.74 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण 'प्राथमिक शिक्षा के लिए स्थानीय निकायों को सहायता' पर ₹ 430.54 करोड़ (38.32 प्रतिशत), सरकारी माध्यमिक विद्यालयों पर ₹ 848.43 करोड़ (13.02 प्रतिशत) की व्यय में वृद्धि है।

(ii) '2210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य' में ₹ 1,135.94 करोड़ (15.07 प्रतिशत) की कमी आई जिसका मुख्य कारण 'अन्य स्वास्थ्य योजनाओं' पर व्यय में ₹ 1,866 करोड़ (111.54 प्रतिशत) की कमी है।

(iii) '2215- जल आपूर्ति एवं स्वच्छता' में ₹ 610.90 करोड़ (53.75 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण जल आपूर्ति, सीवरेज एवं स्वच्छता के लिए 'स्थानीय निकायों, नगर पालिकाओं आदि को सहायता' पर ₹ 726 करोड़ (137.24 प्रतिशत) की व्यय में वृद्धि है।

(iv) '3055-सड़क परिवहन' में सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को ₹ 245.52 करोड़ (5.64 प्रतिशत) की बढ़ी हुई सहायता के कारण वृद्धि हुई।

(v) '2801-पॉवर' में ₹ 84.49 करोड़ (2.59 प्रतिशत) की कमी हुई जिसका मुख्य कारण ट्रांसमिशन और वितरण पर व्यय में ₹ 86.34 करोड़ (2.59 प्रतिशत) की कमी है।

2.4.2.2 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व खाते पर रा.रा.क्षे.दि.स. के प्रतिबद्ध व्यय में वेतन और मजदूरी, पेंशन और ब्याज भुगतान पर व्यय शामिल है। यह सरकारी संसाधनों पर पहला प्रभार

है। प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति के कारण सरकार के पास विकास क्षेत्र के लिए कम लचीलापन रह जाता है।

उपर्युक्त के अलावा, व्यय के कुछ अपरिवर्तनीय मद हैं जिन्हें आम तौर पर बदला या परिवर्तित नहीं किया जा सकता है या वार्षिक आधार पर वैधानिक रूप से आवश्यक हैं, पूंजीगत व्यय आदि जैसे परिवर्तनीय लेनदेन के विपरीत है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित मदों को अपरिवर्तनीय व्यय माना जा सकता है:

- (i) आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति।
- (ii) प्राप्त केंद्रीय निधि के प्रति सीएसएस का राज्य शेयर योगदान।
- (iii) प्रभारित व्यय के रूप में सार्वजनिक ऋण पर ब्याज का भुगतान।
- (iv) आरक्षित निधियों में वैधानिक अंशदान।
- (v) आरक्षित निधियों में उपकर का स्थानांतरण।
- (vi) स्थानीय निकायों को हस्तांतरण- वेतन और भत्ते के लिए स्थानीय निकायों को वैधानिक हस्तांतरण (पूंजीगत व्यय के लिए अंतरण/हस्तांतरण)

प्रतिबद्ध और अपरिवर्तनीय व्यय के घटक तालिका 2.18 में दिए गए हैं:

तालिका 2.18: प्रतिबद्ध एवं अपरिवर्तनीय व्यय के संघटक

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के संघटक	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
वेतन और मजदूरी	10,324.66	11,070.04	11,810.19	12,878.34	14,214.93
पेंशन पर व्यय	3.31	3.56	2.67	3.28	2.76
ब्याज भुगतान	2,867.11	2,751.87	2,873.83	3,274.24	3,266.36
कुल	13,195.08	13,825.47	14,686.69	16,155.86	17484.05
अपरिवर्तनीय व्यय के संघटक					
आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति	5.35	143.41	79.08	74.18	52.13
प्राप्त केंद्रीय निधि के प्रति सीएसएस का राज्य अंशदान	2,273.25	2,772.52	2,868.04	3,207.42	3,768.96
प्रभारित व्यय के रूप में सार्वजनिक ऋण पर ब्याज का भुगतान	2,867.11	2,751.87	2,873.83	3,274.24	3,266.36
स्थानीय निकायों को वैधानिक हस्तांतरण	6360.00	6237.00	5515.00	5501.00	7580.00
कुल	11,505.71	11,904.80	11,335.95	12,056.84	14,667.45
राजस्व प्राप्त (आरआर) के प्रतिशत के रूप में					
प्रतिबद्ध व्यय					
वेतन और मजदूरी	23.95	23.49	28.21	26.12	22.67
पेंशन पर व्यय	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00
ब्याज भुगतान	6.65	5.84	6.86	6.64	5.21
कुल	30.61	29.34	35.08	32.77	27.88

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के संघटक	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राजस्व व्यय (आरई) के प्रतिशत के रूप में					
वेतन और मजदूरी	28.02	27.93	29.22	27.97	29.46
पेंशन पर व्यय	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ब्याज भुगतान	7.78	6.94	7.11	7.11	6.77
कुल	35.81	34.88	36.34	35.09	36.24
राजस्व व्यय में अपरिवर्तनीय व्यय की प्रतिशतता					
राजस्व व्यय	36,852	39,637	40,414	46,043	48,246
राजस्व व्यय में अपरिवर्तनीय व्यय की प्रतिशतता	31.22	30.03	28.05	26.19	30.40
गैर-प्रतिबद्ध आरई**	23,656.92	25,811.53	25,727.31	29,887.14	30,761.95
आरई की प्रतिशतता	64.19	65.12	63.66	64.91	63.76
टीई का प्रतिशत***	55.92	53.36	52.29	52.47	51.79
सब्सिडी	2,532.88	3,592.94	4,176.87	4,690.20	4,632.92
गैर-प्रतिबद्ध आरई के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	10.71	13.92	16.24	15.69	15.06

* इसमें केवल दिल्ली के पूर्व विधायकों और स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन शामिल है। रा.रा.क्षे.दि.स. के कर्मचारियों की पेंशन देयता भारत सरकार द्वारा वहन की जाती है।


** गैर-प्रतिबद्ध आरई = राजस्व व्यय में से राजस्व प्रतिबद्ध व्यय घटाकर

*** सार्वजनिक ऋण को छोड़कर

तालिका 2.18 दर्शाती है कि राजस्व व्यय में गैर-प्रतिबद्ध व्यय का प्रतिशत 2018-19 में 64.19 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 63.76 प्रतिशत हो गया जिसमें सब्सिडी का अनुपात 10.17 प्रतिशत (2018-19) से 15.06 प्रतिशत (2022-23) तक था।

कुल राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का भाग चार्ट 2.15 में दिया गया है।

चार्ट 2.15: कुल राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय के संघटक का भाग (प्रतिशत में)



वेतन और मजदूरी

वेतन और मजदूरी 2018-19 में ₹ 10,324.66 करोड़ से 37.68 प्रतिशत तक बढ़कर 2022-23 में ₹ 14,214.93 करोड़ हो गई।

ब्याज भुगतान

इसी प्रकार ब्याज भुगतान 2018-19 में ₹ 2,867.11 करोड़ से 13.93 प्रतिशत तक बढ़कर 2022-23 में ₹ 3,266.36 करोड़ हो गया।

पेंशन

1 जनवरी 2004 या उसके बाद भर्ती हुए राज्य सरकार के कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के लिए पात्र हैं। योजना के संबंध में कर्मचारी बेसिक वेतन और महंगाई भत्ता के 10 प्रतिशत का योगदान करते हैं। हालांकि नियोक्ता का योगदान अप्रैल 2019 से 10 प्रतिशत से बढ़कर 14 प्रतिशत हो गया/पूरी राशि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से नामित फंड मैनेजर को हस्तांतरित की जाती है।

रा.रा.क्षे.दि.स. की पेंशन देयताएं भारत सरकार द्वारा वहन की जाती हैं और केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय द्वारा रा.रा.क्षे.दि.स. को मुख्य शीर्ष '2071- पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ' एनपीएस और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के अंतर्गत नियोक्ताओं के योगदान के लिए वार्षिक बजट आवंटित किया जाता है, जो बाद में एनएसडीएल/ट्रस्टी बैंक के पास अपेक्षित धनराशि जमा करता है।

प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 2022-23 के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने कर्मचारी के अंशदान ₹ 437.29 करोड़ और नियोक्ता के हिस्से ₹ 608.25 करोड़ के प्रति एनएसडीएल/ट्रस्टी बैंक में ₹ 1,045.54 करोड़ जमा किए। इसलिए एनपीएस के अंतर्गत 2022-23 के दौरान, कर्मचारी के साथ नियोक्ताओं के अंशदान के प्रति कुछ भी बकाया नहीं था।

अपरिवर्तनीय व्यय

अपरिवर्तनीय व्यय के संघटक, जिनमें आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति प्राप्त केंद्रीय निधि के प्रति सीएसएस का राज्य शेयर अंशदान, सार्वजनिक ऋण पर ब्याज का भुगतान प्रभारित व्यय के रूप में आदि शामिल हैं, में 2018-19 से 2022-23

की अवधि के दौरान निरंतर वृद्धि देखी गई। राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में, अपरिवर्तनीय व्यय 31.22 प्रतिशत से घटकर 30.40 प्रतिशत हो गया।

2.4.2.3 सब्सिडी


रा.रा.क्षे.दि.स. महिला बस यात्रियों (डीटीसी/क्लस्टर बसों के माध्यम से), दिल्ली जल बोर्ड और डिस्कॉम के उपभोक्ताओं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन आदि के लिए सब्सिडी देती है। रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा सब्सिडी पर किए गए व्यय तालिका 2.19 में दर्शाए गए हैं। सब्सिडी पर किया गया व्यय 2018-19 के दौरान ₹ 2,533 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹ 4,633 करोड़ (82.91 प्रतिशत) हो गया। 2022-23 में सब्सिडी पर व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 1.22 प्रतिशत कम हो गया।

तालिका 2.19: 2018-19 से 2022-23 के दौरान सब्सिडी पर व्यय

(₹ करोड़ में)

पैरामीटर	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
सब्सिडी	2,533	3,593	4,177	4,690	4,633
राजस्व प्राप्तियां	43,113	47,136	41,864	49,313	62,703
राजस्व व्यय	36,852	39,637	40,414	46,043	48,246
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी (प्रतिशत में)	5.88	7.62	9.98	9.51	7.39
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी (प्रतिशत में)	6.87	9.06	10.34	10.19	9.60

चार्ट 2.16: सब्सिडी की प्रवृत्ति



राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी 2021-22 में 9.51 प्रतिशत से मामूली रूप से घटकर 2022-23 में 7.39 प्रतिशत हो गई। राजस्व व्यय के

प्रतिशत के रूप में सब्सिडी 2021-22 में 10.19 प्रतिशत से मामूली रूप से घटकर 2022-23 में 9.60 प्रतिशत हो गई। प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने कहा (सितंबर 2023) कि संबंधित विभागों से वर्षों में भिन्नता के कारणों की प्रतीक्षा की गई थी।


रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान डिस्कॉम (पॉवर सब्सिडी), दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) (जल सब्सिडी) और महिला बस यात्रियों (डीटीसी/कलस्टर/बसों द्वारा निःशुल्क बस यात्रा) के माध्यम से उपभोक्ताओं को दी गई सब्सिडी तालिका 2.20 में दी गई है।

तालिका 2.20: 2018-19 से 2022-23 के दौरान रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा पॉवर, पानी और निःशुल्क बस यात्रा के लिए दी गई सब्सिडी की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पॉवर सब्सिडी	पानी सब्सिडी	निःशुल्क बस यात्रा
2018-19	1,699.29	425.00	लागू नहीं
2019-20	2,405.59	467.50	114.69
2020-21	2,939.99	600.00	217.04
2021-22	3,250.00	600.00	257.38
2022-23	3,161.22	466.41	400.00

चार्ट 2.17: रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा पॉवर, पानी एवं निःशुल्क बस यात्रा के लिए दी गई सब्सिडी की प्रवृत्ति



डिस्कॉम उपभोक्ताओं को दी जाने वाली पॉवर सब्सिडी 2018-19 में ₹ 1,699.29 करोड़ से 86.03 प्रतिशत तक बढ़कर 2022-23 में ₹ 3,161.22 करोड़ हो गई। डीजेबी उपभोक्ताओं को दी जाने वाली जल सब्सिडी 2018-19 में ₹ 425 करोड़ से 9.74 प्रतिशत तक बढ़कर 2022-23 में ₹ 466.41 करोड़ हो गई। महिला बस

यात्रियों के लिए डीटीसी/क्लस्टर बसों को दी जाने वाली सब्सिडी 2019-20 में ₹ 114.69 करोड़ से 248.77 प्रतिशत बढ़कर 2022-23 में ₹ 400 करोड़ हो गई। प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने कहा (सितंबर 2023) कि संबंधित विभागों से वर्षों में भिन्नता के कारणों की प्रतीक्षा की गई थी।

2.4.2.4 रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। विवरण तालिका 2.21 में दर्शाया गया है और वित्तीय सहायता की प्रवृत्तियां चार्ट 2.18 में दिखाई गई हैं।


तालिका 2.21: स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता आदि

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
(क) स्थानीय निकाय					
नगर निगम और नगर पालिकाएं (स.अनु. और मुआवजा और असाइनमेंट शामिल है)	6,337	6,222	5,500	5,490	7,564
कुल (क)	6,337	6,222	5,500	5,490	7,564
(ख) अन्य					
दिल्ली छावनी बोर्ड	23	15	15	11	16
दिल्ली जल बोर्ड	2,316	2,855	4,319	2,462	4,106
दिल्ली परिवहन निगम	1,825	2,030	2,475	2,320	2,350
दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड	507	379	833	384	262
अन्य (दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, उच्च शिक्षा संस्थान, तकनीकी शिक्षा संस्थान, अस्पताल, सड़क सुरक्षा सैल, आदि सहित)।	4,079	4,732	3,501	5,451	3,927
कुल (बी)	8,750	10,011	11,143	10,628	10,661
कुल (ए+बी)	15,087	16,233	16,643	16,118	18,225
वेतन पर सहा.अनु.	4,267	4,467	4,598	4,628	5,298
पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान	1,806	1,563	1,121	804	2,031
सहा.अनु.- सामान्य	4,247	4,703	6,834	8,083	7,813
वस्तु के रूप में दिया गया सहा.अनु.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
राजस्व व्यय	36,852	39,637	40,414	46,043	48,246
राजस्व के प्रतिशत के रूप में सहायता	40.94	40.95	41.18	35.01	37.78

स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. से प्राप्त सूचना

चार्ट 2.18: वित्तीय सहायता की प्रवृत्तियां




स्थानीय निकायों और अन्य को वित्तीय सहायता 2021-22 में ₹ 16,118 करोड़ से 13.07 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में ₹ 18,225 करोड़ हो गई। राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में, वित्तीय सहायता भी 2021-22 में 35.01 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 37.78 प्रतिशत हो गई।

आगे यह देखा गया कि 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान वेतन संघटक पर सहायता में निरंतर वृद्धि देखी गई थी।

हालांकि स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता में 2018-19 से 2021-22 तक गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई और पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 में 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जैसा कि चार्ट 2.19 (ए) में दर्शाया गया है:


चार्ट 2.19 (ए): स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता की प्रवृत्ति



इस प्रकार, भिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता में 2018-19 से 2021-22 के दौरान उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति देखी गई और 2022-23 में पिछले वर्ष की तुलना

में मामूली रूप से 0.31 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जैसा कि चार्ट 2.19 (बी) में दर्शाया गया है:

चार्ट 2.19 (बी): अन्यो को वित्तीय सहायता की प्रवृत्ति




राजस्व घाटा अनुदान:

दो निकाय अर्थात् दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) और दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) राजस्व अनुदान के माध्यम से अपनी व्यवहार्यता अंतर को पूरा करने के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. पर निर्भर थे क्योंकि उनका राजस्व परिचालन लागत को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं था। 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान रा.रा.क्षे.दि.स. ने डीजेबी और डीटीसी को क्रमशः ₹ 3,200 और ₹ 11,000 करोड़ का भुगतान किया था।

2.4.3 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय में सड़कें, इमारतें आदि जैसे अचल बुनियादी ढांचा परिसंपत्तियों के निर्माण पर व्यय शामिल है। पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति को चार्ट 2.20 में प्रस्तुत किया गया है।

चार्ट 2.20: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में पूंजीगत व्यय



चार्ट 2.20 से देखा जा सकता है कि 2018-19 से 2022-23 के दौरान पूंजीगत व्यय अंतरवर्षीय उतार चढ़ाव के साथ ₹ 3,266 करोड़ से ₹ 8,065 करोड़ के बीच दिखाया गया। पूंजीगत व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 में ₹ 8,311 करोड़ से घटकर ₹ 8,065 करोड़ (2.96 प्रतिशत) रह गया। इसके अतिरिक्त 2018-19 से 2022-23 तक पूंजीगत व्यय निरंतर पूंजीगत बजट से कम हो गया। उक्त अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय निरंतर स.रा.घ.उ. के 1 प्रतिशत से कम था।

2.4.3.1 पूंजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन

पूंजीगत व्यय के मुख्य शीर्षों में परिवर्तन तालिका 2.22 में दिखाए गए हैं।

तालिका 2.22: 2021-22 की तुलना में 2022-23 के दौरान मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत पूंजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)			
मुख्य लेखा शीर्ष (एमएच)	2021-22	2022-23	वृद्धि (+)/कमी (-) प्रतिशत में
4202- शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत व्यय	1,999.78	1,249.51	(-37.52)
4210- चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत व्यय	1,457.20	1,745.71	(+)19.80
5054- सड़कें और पुलों पर पूंजीगत व्यय	1,270.42	1,556.12	(+) 22.49
5055- सड़क परिवहन पर पूंजीगत व्यय	1,277.68	1,026.07	(-)19.69

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

शिक्षा, खेल, कला व संस्कृति (एमएच-4202) पर पूंजीगत व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 37.52 प्रतिशत (₹ 750.27 करोड़) की कमी आई जिसका मुख्य कारण इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेजों और संस्थानों पर व्यय में ₹ 460 करोड़ (82.22 प्रतिशत) और माध्यमिक शिक्षा पर 223.81 करोड़ (23.85 प्रतिशत) की कमी है। पुलों और सड़क कार्यों के निर्माण पर व्यय में ₹ 330.72 करोड़ (₹ 36.51 करोड़) की वृद्धि के कारण सड़क और पुलों (एमएच-5054) पर पूंजीगत व्यय पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 285.70 करोड़ (22.49 प्रतिशत) बढ़ गया। अस्पतालों और औषधालयों पर व्यय में ₹ 277.99 करोड़ (19.37 प्रतिशत) की वृद्धि के कारण चिकित्सा और जन स्वास्थ्य (एमएच-4210) पर पूंजीगत व्यय पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 288.51 करोड़ (19.80 प्रतिशत) बढ़ गया। सड़क परिवहन (एमएच-5055) पर पूंजीगत व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 19.69 प्रतिशत (₹ 251.61 करोड़) कम हो गया जिसका मुख्य कारण सा.क्षे.उ. और अन्य उपक्रमों में ₹ 463.05 करोड़ (56.50 प्रतिशत) का निवेश है।

2.4.3.2 निवेश और रिटर्न

31 मार्च 2023 तक सरकार ने सरकारी कंपनियों और सहकारी संस्थानों में ₹ 21,054 करोड़ का निवेश किया था। पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 में निवेश में ₹ 343 करोड़ की वृद्धि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड में किए गए निवेश के कारण हुई। निवेश पर रिटर्न 2022-23 में 0.49 प्रतिशत था जबकि सरकार ने 2022-23 के दौरान इसकी उधारी पर औसत दर 6.15 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान किया। विवरण तालिका 2.23 में नीचे दिया गया है।

तालिका 2.23: निवेश पर रिटर्न

निवेश/रिटर्न/उधार की लागत	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
वर्ष के अंत में निवेश (₹ करोड़ में) (ए)	19,261	19,411	19,911	20,711	21,054
रिटर्न (₹ करोड़ में)	14.31	15.84	9.80	89.58	103.79
रिटर्न (प्रतिशत) (बी)	0.07	0.08	0.05	0.43	0.49
सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत) (सी)	8.64	8.14	7.04	6.50	6.15
ब्याज दर और रिटर्न के बीच अंतर (प्रतिशत) (सी-बी)	8.57	8.06	6.99	6.07	5.66
वर्ष के अंत में निवेश पर सरकारी उधार और रिटर्न पर ब्याज के बीच अंतर (₹ करोड़ में) [(सी-बी)*ए]	1,651	1,565	1,392	1,257	1,192

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

सरकार द्वारा निवेश 2018-19 से 2022-23 तक पांच वर्ष की अवधि में 9.31 प्रतिशत तक बढ़ गया। रा.रा.क्षे.दि.स. 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान इसकी उधारी पर 6.15 प्रतिशत से 8.64 प्रतिशत के बीच ब्याज दर का भुगतान किया। जबकि इसी अवधि के दौरान 0.05 प्रतिशत से 0.49 प्रतिशत (विगत लागत पर) था। पांच वर्षों के दौरान वितरित एवं वसूल किए गए ऋण तालिका 2.24 में दिए गए हैं।

तालिका 2.24: पांच वर्ष के दौरान वितरित व वसूले गए ऋण की राशि

(₹ करोड़ में)

वितरित व वसूल किए गए ऋण की राशि	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
बकाया ऋणों का प्रारंभिक शेष	63,812	64,570	67,014	70,473	72,454
वर्ष के दौरान अग्रिम राशि	2,402	3,266	4,090	2,604	3,084
वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	1,644	823	631	623	1,258
बकाया ऋणों का अंतिम शेष	64,570	67,014	70,473	72,454	74,280
निवल जोड़	758	2,444	3,459	1,981	1,826
प्राप्त किया गया ब्याज	113	404	468	336	46
बकाया ऋणों और अग्रिमों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज प्राप्तियां	0.18	0.60	0.66	0.46	0.06
सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	8.64	8.14	7.04	6.50	6.15
भुगतान किए गए ब्याज की दर और प्राप्त ब्याज के बीच अंतर (प्रतिशत)	8.46	7.54	6.38	6.04	6.09

2022-23 के दौरान, पिछले वर्ष के दौरान ₹ 2,604 करोड़ के प्रति ₹ 3,084 करोड़ की राशि ऋण के रूप में दी गई थी। वर्ष की शुरुआत में दिल्ली जल बोर्ड (₹ 3,261.19 करोड़), दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (₹ 1,545.17 करोड़) और खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (₹ 2.15 करोड़) पर ₹ 39,334.02 करोड़ की राशि का ऋण बकाया था। इसके अतिरिक्त इन ऋणी संस्थाओं को पहले के ऋणों की वसूली के बिना ₹ 2,983.55 करोड़ का और ऋण वितरित किया गया।

राज्य सरकार द्वारा दिए गए कुल बकाया ऋण वर्ष 2021-22 में ₹ 72,454 करोड़ से ₹ 1,826 करोड़ बढ़कर 2022-23 में ₹ 74,280 करोड़ हो गया। वर्ष 2021-22 की तुलना में 2022-23 में ऋणों की वसूली में क्रमशः ₹ 635 करोड़ (101.93 प्रतिशत) की वृद्धि हुई और ब्याज प्राप्तियों में क्रमशः ₹ 290 करोड़ (86.31 प्रतिशत) की कमी आई। 2022-23 के दौरान प्राप्त ब्याज बकाया ऋण और अग्रिम का केवल 0.06 प्रतिशत था।

इसके अतिरिक्त 1997-98 से 1998-99 की अवधि के लिए दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम और दिल्ली अनुसूचित जाति वित्तीय निगम को ₹ 17.93 करोड़ की राशि का ऋण दिया गया।

2.4.3.3 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (एसपीएसई), रा.रा.क्षे.दि.स. की इक्विटी और बकाया ऋण का वित्त लेखाओं के आंकड़ों के साथ मिलान

राज्य पीएसई के रिकॉर्ड के अनुसार इक्विटी और बकाया ऋण के संबंध में आंकड़े रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखाओं में दिखाई देने वाले आंकड़ों से मिलना चाहिए। यदि आंकड़े नहीं मिलते हैं तो संबंधित एसपीएसई और वित्त विभाग के अंतर (मतभेदों) का समाधान करना चाहिए। 31 मार्च 2023 तक इक्विटी और ऋण के आंकड़ों में अंतर नीचे तालिका 2.25 में दिया गया है:

तालिका 2.25: राज्य पीएसई के अभिलेखों तथा वित्त लेखाओं के अनुसार इक्विटी और बकाया ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	इक्विटी और बकाया ऋण		अंतर
	वित्त लेखाओं के अनुसार	एसपीएसई के अभिलेखों के अनुसार	
कुल इक्विटी	9297.91	9191.73	95.42*
कुल ऋण	15601.30	15597.89	3.41

स्रोत: एसपीएसई और वित्त लेखे, रा.रा.क्षे.दि.स. से रिकॉर्ड

₹ 10.76 करोड़ का अंतर जीएसडीएल की इक्विटी में निवेश के कारण है, जिसे वित्त लेखाओं में दर्शाया गया है लेकिन जीएसडीएल से संबंधित जानकारी प्रतीक्षित है।

इक्विटी में आंकड़ों के बीच अंतर डीटीआईडीसी (₹ 95.42 करोड़) से संबंधित है और ऋण में डीएसएफडीसी (₹ 1.58 करोड़) है। डीएससीएससी (₹ 2.22 करोड़), डीटीटीडीसी (₹ 3.15 करोड़) और पीपीसीएल (₹ 3.54 करोड़) से संबंधित है।

यह सिफारिश की जाती है कि राज्य सरकार और एसपीएसई समयबद्ध तरीके से अंतर का समाधान करें।

2.4.4 सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता


तालिका 2.26 और चार्ट 2.21 वर्ष 2018-19 और 2022-23 के दौरान पूंजीगत व्यय, शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय के संबंध में दिल्ली के रा.रा.क्षे. सरकार की राजकोषीय प्राथमिकता को दिखाता है।

तालिका 2.26: 2018-19 और 2022-23 रा.रा.क्षे.दि.स. की राजकोषीय प्राथमिकता (प्रतिशत में)

राज्य द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता	कु.व्य./स.रा.घ.उ.	पूं.व्य./कु.व्य.	शिक्षा/कु.व्य.	स्वास्थ्य/कु.व्य.
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (अनुपात) 2018-19	5.76	7.26	24.80	12.92
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (अनुपात) 2022-23	5.69	12.53	23.69	13.89

ईई: राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + ऋण और अग्रिम;
सीई: पूंजीगत व्यय (सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर)
स्रोत: रा.रा.क्षे.दि.स. वित्त लेखे

चार्ट 2.21: 2018-19 और 2022-23 के दौरान सार्वजनिक व्यय में प्राथमिकता (प्रतिशत में)



स.रा.घ.उ. के अनुपात के रूप में कुल व्यय 2018-19 में 5.76 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 5.69 प्रतिशत हो गया। कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं और आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय की हिस्सेदारी में भी इस अवधि के दौरान 7.26 प्रतिशत से 12.53 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। कुल व्यय में स्वास्थ्य पर व्यय का हिस्सा भी इस अवधि में 12.92 प्रतिशत से बढ़कर 13.89 प्रतिशत हो गया है। हालांकि इसी अवधि में कुल व्यय में शिक्षा पर व्यय का हिस्सा 24.80 प्रतिशत से घटकर 23.69 प्रतिशत हो गया।

2.5 सार्वजनिक दायित्व प्रबंधन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को खुले बाजार से ऋण जुटाने का अधिकार नहीं है। इसके लिए आवश्यक सभी ऋण भारत की संचित निधि से दिये जाते हैं। भारत सरकार से प्राप्त ऋण और अग्रिम में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की ऋण प्राप्तियां शामिल होती हैं।

2.5.1 सरकारी खर्चों से बाहर की धनराशि

ए) भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर

भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (बीओसीडब्ल्यू) कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 और बीओसीडब्ल्यू (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 किसी भी इमारत या अन्य निर्माण कार्य में पिछले बारह महीनों के किसी भी दिन दस या अधिक भवन निर्माण श्रमिकों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों को कवर करता है। अधिनियम, अन्य बातों के अलावा, श्रमिकों की कामकाजी स्थितियों में सुधार लाने और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कल्याण बोर्ड के गठन का प्रावधान करता है, और निर्माण कार्य की लागत पर उपकर लगाने और संग्रह के माध्यम से कल्याण बोर्ड के संसाधनों को बढ़ाने के लिए प्रावधान करता है।

रा.रा.क्षे.दि.स. ने बीओसीडब्ल्यू (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 18 (1) के अंतर्गत "दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड" को अधिसूचित किया (सितंबर 2002) और उपकर दो प्रतिशत से अनधिक और एक प्रतिशत से कम न होने वाली दर पर लगाती है।

समय-समय पर संशोधित दिल्ली बीओसीडब्ल्यू नियम 2002, पंजीकृत श्रमिकों से ₹ 25 के पंजीकरण शुल्क के संग्रह का प्रावधान करता है। ठेकेदारों के बिलों से

उपकर काटने के बाद, सरकारी विभाग और निजी संस्थाएं इसे चेक के माध्यम से श्रम विभाग के अधिसूचित उपकर संग्रहकर्ताओं (श्रम अधिकारी और निरीक्षक) को सौंप देते हैं। चेक प्राप्त होने के बाद, उपकर संग्रहकर्ता इन्हें जिला कार्यालयों में तैनात बोर्ड कर्मचारियों को सौंप देते हैं, जो बदले में चेक को बैंक में जमा करते हैं। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर नीचे चर्चा की गई है:

सरकारी खातों से बाहर रखा गया धन

2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान उपकर की प्राप्तियों और उपयोग का विवरण नीचे तालिका 2.27 में दिया गया है:

तालिका 2.27: 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान उपकर की प्राप्तियों और उपयोग का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्राप्तियां				व्यय			
	संग्रहित उपकर	लाभार्थी योगदान	अर्जित ब्याज	कुल	योजनाओं पर व्यय	प्रशासनिक व्यय	कुल व्यय	निवल प्राप्तियां
1	2	3	4	5 (2+3+4)	6	7	8 (6+7)	9 (5-8)
प्रारंभिक शेष								2385.80
2018-19	215.51	0.08	155.13	370.72	3.12	3.28	6.40	364.32
2019-20	215.47	0.22	215.97	431.66	48.89	3.79	52.68	378.98
2020-21	221.35	0.74	165.47	387.56	36.95	4.57	41.52	346.04
2021-22	244.69	3.34	109.54	357.57	458.08	7.05	465.13	-107.56
2022-23	374.46	1.19	221.98	597.63	60.95	5.08	66.03	531.60
कुल	1271.48	5.57	868.09	2,145.14	607.99	23.77	626.76	3,899.18
घटा: मार्च 2023 तक कटौती/जमा की गई आय								-319.98
निवल राशि उपलब्ध है								3,579.20

स्रोत: दिल्ली भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के दस्तावेज

बोर्ड द्वारा साझा किए गए उपरोक्त विवरण के अनुसार 31 मार्च 2023 तक बोर्ड के पास ₹ 3,579.20 करोड़ उपलब्ध थे। यह पाया गया कि:

- श्रम आयुक्त कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने 16 अगस्त 2005 को सभी सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य सरकारी निकायों को निविदा अधिसूचना के अनुसार ऐसे भुगतान करने के 30 दिनों के भीतर, दिल्ली भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (बोर्ड) के पक्ष में, ठेकेदारों को एसी अदाकर्ता चेक के माध्यम से भुगतान करते समय अनुमोदित लागत की राशि का एक प्रतिशत श्रम उपकर सहित बिलों को भेजने का निर्देश दिया। बाद में, बोर्ड ने एकत्रित उपकर को आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से सीधे संबंधित जिले के बैंक खाते में स्थानांतरित करने के निर्देश जारी किए (नवंबर 2017)।

उपकर के लेखांकन के लिए अपनाया गया तंत्र बीओसीडब्ल्यू उपकर नियम, 1998 के अनुरूप नहीं है, जो प्रावधान करता है कि एकत्रित उपकर को राज्य की लेखा प्रक्रियाओं के अंतर्गत बोर्ड के खाते के शीर्ष में स्थानांतरित किया जाएगा। तदनुसार एकत्रित उपकर को सार्वजनिक खाते में दर्शाया जाना चाहिए और वहां से इसे बोर्ड खाते में स्थानांतरित किया जा सकता है।

मामला श्रम विभाग को सूचित किया गया (अगस्त 2023 और दिसंबर 2023) और उत्तर प्रतीक्षित है।

बी) दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग निधि का संचालन न होना

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 103 में प्रावधान है कि राज्य सरकार राज्य विद्युत निियामक आयोग निधि (एसईआरसीएफ) नामक एक निधि का गठन करेगी और राज्य सरकार द्वारा राज्य आयोग को दिए गए किसी भी अनुदान और ऋण, अधिनियम के अंतर्गत राज्य आयोग द्वारा प्राप्त और राज्य सरकार द्वारा तय किए गए ऐसे अन्य स्रोतों से आयोग द्वारा प्राप्त सभी रकम, सभी शुल्क को उसमें जमा किया जाएगा। तदनुसार, दिल्ली विद्युत निियामक आयोग (डीईआरसी) ने विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार डीईआरसीएफ के निर्माण के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. से अनुरोध किया था (जुलाई 2003)।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि लगभग दो दशक बीत जाने के बावजूद रा.रा.क्षे.दि.स. ने निधियों का गठन नहीं किया और लाइसेंस/प्रसंस्करण शुल्क के कारण डीईआरसी को ₹ 10.31 करोड़ (2022-23 के दौरान) की राशि प्राप्त हुई। 31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए एसएफएआर में शामिल अभ्युक्तियों के जवाब में पावर विभाग ने कहा (मई 2023) कि डीईआरसी निधि सृजित करने का कार्य प्रक्रियाधीन था।

2.5.2 ऋण प्रोफाइल: संघटक

तालिका 2.28 पिछले पांच वर्षों के लिए रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के ऋण प्रोफाइल का समय श्रृंखला विश्लेषण देती है।

तालिका 2.28: भारत सरकार से ऋण और रा.रा.क्ष.दि.स. के ऋण की प्रोफाइल

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	ऋण प्राप्ति	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	समाप्त शेष	वृद्धि/कमी	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि/कमी की प्रतिशतता
2018-19	33,568.69	2,880.00	3,636.35	32,812.34	(-)756.35	(-)2.25
2019-20	32,812.34	4,765.60	2,811.10	34,766.84	1,954.50	5.96
2020-21	34,766.84	15,365.00	3,265.17	46,866.67	12,099.83	34.80
2021-22	46,866.67	11192.67	4,215.16	53,844.18	6,977.51	14.89
2022-23	53844.18	3251.22	4,715.16	52,380.24	(-)1463.94	(-)2.72

2022-23 के अंत में प्रभावी बकाया ऋण ₹ 40,322 करोड़ (₹ 52,380 करोड़ (-) ₹ 6,193 करोड़ (-) ₹ 5,865 करोड़) होगा क्योंकि व्यय विभाग, भारत सरकार ने निर्णय लिया था कि जीएसटी मुआवजा ₹ 5,865 करोड़ (2020-21) और ऋण प्राप्तियों के अंतर्गत राज्य को बैंक टू बैंक ऋण के रूप में दिए गए ₹ 6,193 करोड़ (2021-22) को राज्य का ऋण नहीं माना जाएगा। इस प्रकार, सरकार का प्रभावी ऋण 2018-19 के अंत में ₹ 32,812 करोड़ से ₹ 7,510 करोड़ (22.89 प्रतिशत) बढ़कर 2022-23 के अंत में ₹ 40,322 करोड़ हो गया।

2.5.3 ऋण प्रोफाइल की परिपक्वता और पुनर्भुगतान

ऋण परिपक्वता और पुनर्भुगतान प्रोफाइल ऋण पुनर्भुगतान या ऋण सेवा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को इंगित करती है। सार्वजनिक ऋण की परिपक्वता प्रोफाइल को (₹ 5,23,80.21 करोड़) तालिका 2.29 एवं चार्ट 2.22 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.29: राज्य ऋण के पुनर्भुगतान की ऋण परिपक्वता प्रोफाइल

ऋण का पुनर्भुगतान				
पुनर्भुगतान की अवधि	भा.स. से ऋण तथा अग्रिम# (मूलधन) (₹ करोड़ में)	ब्याज (₹ करोड़ में)	कुल (₹ करोड़ में)	ऋण की प्रतिशतता (मूलधन (ii) में दर्शाया गया है)
(i)	(ii)	(iii)	(iv) [(ii) + (iii)]	(v) [(ii)*100/52380.94]
2023-24	4,993.69	3094.31	8,088.00	9.53
2024-25	4,914.32	2666.08	7,580.40	9.38
2025-26	4,641.66	2246.19	6,887.85	8.86
2026-27	4,253.71	1853.16	6,106.87	8.12
2027-28	4,084.15	1498.63	5,582.78	7.80
2028-29	3,893.52	1159.01	5,052.53	7.43
2029-30	3,393.12	835.41	4,228.53	6.48
2030-31	2,752.44	555.71	3,308.15	5.25
2031-32	1,507.61	332.33	1,839.94	2.88
2032-33	807.51	207.26	1,014.77	1.54
2033-34	445.08	137.70	582.78	0.85
2034-35	423.65	95.41	519.06	0.81
2035-36	335.20	55.17	390.37	0.64


ऋण का पुनर्भुगतान				
पुनर्भुगतान की अवधि	भा.स. से ऋण तथा अग्रिम# (मूलधन) (₹ करोड़ में)	ब्याज (₹ करोड़ में)	कुल (₹ करोड़ में)	ऋण की प्रतिशतता (मूलधन (ii) में दर्शाया गया है)
2036-37	115.75	23.32	139.07	0.22
2037-38	87.95	12.33	100.28	0.17
2038-39	41.83	3.97	45.80	0.08
कुल	36,691.16*	14775.99	51467.15**	70.05
अन्य	15,689.05***			29.95
कुल योग	52,380.21			100.00

नोट: *और ** यह केवल एनएसएसएफ ऋण के पुनर्भुगतान से संबंधित है। 0.03 करोड़ का अंतर है, जो आंकड़ों को पूर्णांकित करने के कारण है।

*** इसमें ₹ 12,058 करोड़ के जीएसटी मुआवजे के प्रति भारत सरकार से बैंक-टू-बैंक ऋण, 2013-14 के दौरान डीईएसयू के बकाया के निपटान के लिए प्राप्त ऋण, चंद्रावल (2018-19) में डब्ल्यूटीपी का पुनर्वास आदि शामिल हैं।

सभी ऋण भारत की समेकित निधि से रा.रा.क्षे.दि.स. को दिए गए हैं।

चार्ट 2.22: ऋण परिपक्वता प्रोफाइल



सार्वजनिक ऋण की परिपक्वता प्रोफाइल इंगित करती है कि 2023-24, 2024-26, 2026-28 और 2028-30 की अवधि के दौरान ऋण (ब्याज के अतिरिक्त) के पुनर्भुगतान के लिए राज्य की देनदारी क्रमशः ₹ 4,993.69 करोड़ (9.53 प्रतिशत) ₹ 9,555.98 करोड़ (18.24 प्रतिशत), ₹ 8,337.86 करोड़ (15.92 प्रतिशत) और ₹ 7,286.64 करोड़ (13.91 प्रतिशत) होगी। इसके अलावा, कुल सार्वजनिक ऋण का ₹ 6,517.02 करोड़ (12.45 प्रतिशत) सात वर्षों के बाद पुनर्भुगतान करना होगा।

2.6 ऋण धारणीयता

ऋण धारणीयता विश्लेषण राजकोषीय और ऋण मापदंडों के आधार पर किया गया है; डोमर पद्धति तथा संबंधित एफआरबीएम (राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम) लक्ष्यों के लिए वृहत-राजकोषीय मापदंडों का अनुपालन करता है। विश्लेषण के परिणाम निम्नलिखित पैराग्राफ में दिए गए हैं:

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के ऋण की मात्रा के अलावा ऋण धारणीयता निर्धारित करने वाले विभिन्न संकेतकों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। एफआरबीएम दिल्ली के लिए लागू नहीं है।

क. ऋण धारणीयता का तात्पर्य किसी राज्य की भविष्य में अपने ऋण को पुनर्भुगतान की क्षमता से है। यह भाग वृद्धि दर, बकाया ऋण, ब्याज भुगतान और राजस्व प्राप्तियों के अनुपात, ऋण पुनर्भुगतान और ऋण प्राप्तियों और रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के लिए उपलब्ध निवल ऋण के संदर्भ में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के ऋण की धारणीयता का आकलन करता है। तालिका 2.30 2018-19 से 2022-23 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए इन संकेतकों के अनुसार रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की ऋण धारणीयता का विश्लेषण करती है।

तालिका 2.30: ऋण धारणीयता: संकेतक और प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

ऋण धारणीयता संकेतक	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
कुल बकाया ऋण * (वर्ष 31 मार्च तक)	32,812	34,767	41,002	41,786	40,322
बकाया कुल ऋण की वृद्धि दर	-2.25	5.96	17.93	1.91	-3.5
स.रा.घ.उ.	7,38,389	7,92,911	7,63,435	9,04,642	10,43,759
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर	8.92	7.38	-3.72	18.50	15.38
कुल ऋण/स.रा.घ.उ.	4.44	4.38	5.37	4.62	3.86
राज्य ऋण के पुनर्भुगतान की परिपक्वता ऋण प्रोफाइल	3,636	2,811	3,265	4,215	4,715
बकाया सार्वजनिक ऋण की औसत ब्याज दर (प्रतिशत)**	8.64	8.14	7.04	6.50	6.15
सार्वजनिक ऋण पर ब्याज भुगतान	2,867	2,752	2,874	3,274	3,266
ब्याज भुगतान किए बिना राजस्व घाटा (-)/अधिशेष (+)	9,128	10,251	4,324	6,544	17,723
ब्याज भुगतान के कारण राजस्व अधिशेष	6,261	7,499	1,450	3,270	14,457
राजस्व प्राप्तियों पर ब्याज भुगतान की प्रतिशतता	6.65	5.84	6.87	6.64	5.21
ऋण प्राप्तियों के ऋण पुनर्भुगतान की प्रतिशतता	126.25	58.99	34.37	84.3	145.03
राज्य को उपलब्ध निवल ऋण [§]	-3,623	-798	3,361	-2,489	-4,766
ऋण प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में उपलब्ध निवल ऋण	-125.8	-16.75	35.38	-49.78	-148.24
प्राथमिक घाटा (-)/अधिशेष (+)	5,104	2,336	-3,834	-3,747	7,832
ऋण स्थिरीकरण (क्वांटम स्प्रेड [#] + प्राथमिक घाटा)	5,196	2,072	-8,246	1,267	11,554

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।


* केंद्र सरकार से बकाया सार्वजनिक ऋण '6003-आंतरिक ऋण' और '6004-ऋण और अग्रिम' शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष राशि का योग है। 2020-21 और 2021-22 के दौरान, इसमें क्रमशः ₹ 5,865 करोड़ और ₹ 12,058 करोड़ शामिल नहीं हैं (₹ 5,865 करोड़ + ₹ 6,193 करोड़) जीएसटी मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में, जिसे राज्य द्वारा अपने संसाधनों से पुनर्भुगतान नहीं किया जाना है। इन बैंक टू बैंक ऋणों को छोड़ने के बाद रा.रा.क्षे.दिस. के कुल प्रभावी ऋण क्रमशः वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के अंत तक में क्रमशः 41,002 करोड़, ₹ 41,786 करोड़ और ₹ 40,322 करोड़ था।

** भुगतान किया गया ब्याज/(सार्वजनिक ऋण का प्रा.शे+सार्वजनिक ऋण का अं.शे/2 (प्रतिशत में))

[§] राज्य सरकार को उपलब्ध निवल ऋण की गणना सार्वजनिक ऋण पुनर्भुगतान और सार्वजनिक ऋण पर ब्याज भुगतान पर सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों की अधिकता के रूप में की जाती है।

[#] क्वांटम स्प्रेड = बकाया ऋण X (स.रा.घ.उ. वृद्धि दर - बकाया ऋण की औसत ब्याज दर)

चार्ट 2.23: ऋण धारणीयता: संकेतक और रूझान



- कम होता हुआ ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात को स्थिरता की ओर अग्रसर माना जा सकता है। ऋण स.रा.घ.उ. अनुपात 2018-19 में 4.44 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 3.86 प्रतिशत हो गया।
- राजस्व प्राप्तियों पर ब्याज भुगतान का अनुपात 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान 6.65 प्रतिशत (2018-19) से घटकर 5.21 प्रतिशत (2022-23) हो गया।
- 2022-23 के दौरान सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान (₹ 4,715 करोड़) सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों (₹ 3,251 करोड़) से अधिक था।
- सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों में सार्वजनिक ऋण पुनर्भुगतान का प्रतिशत जितना अधिक होगा, उत्पादकता के बजाय ऋण भुगतान के लिए उपयोग किए गए ऋण का अनुपात उतना ही अधिक होगा। 2018-2023 की अवधि के दौरान सार्वजनिक ऋण भुगतान और सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों का अनुपात 34.37 प्रतिशत से 145.03 प्रतिशत तक था, जिसका अर्थ है कि अधिकांश सार्वजनिक उधार का उपयोग पहले के उधार के पुनर्भुगतान के लिए किया गया था, जिससे उत्पादकता के उपयोग के लिए कम जगह बची थी। परिणामस्वरूप चालू वर्ष में पूंजीगत व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 2.96 प्रतिशत कम हो गया है।

ख) ई.डी. डोमर के एक अध्ययन के आधार पर ऋण धारणीयता पर एक विश्लेषण किया गया था। डोमर मॉडल बताता है कि सार्वजनिक ऋणग्रस्तता की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आधार यह है कि सरकारी ऋण की ब्याज दरें सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

सार्वजनिक ऋण की गतिशीलता स.रा.घ.उ. की ब्याज दर की वृद्धि दर पर निर्भर करती है और प्राथमिक बजट शेष इस प्रकार है:

जी-आर (जी-वास्तविक आर्थिक विकास दर: आर-वास्तविक ब्याज दर)	एस<0 (प्राथमिक घाटा)	एस>0 (प्राथमिक अधिशेष)
जी आर>0(मजबूत आर्थिक विकास)	स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में सार्वजनिक ऋण को शून्य से अधिक स्थिर स्तर पर लाना चाहिए	स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में सार्वजनिक ऋण शून्य से कम स्थिर स्तर पर पहुँचना चाहिए जिससे सार्वजनिक बचत हो।
जी आर<0 (धीमा आर्थिक विकास)	स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में सार्वजनिक ऋण को स्थिर स्तर पर लाए बिना अनिश्चित काल तक बढ़ना चाहिए	अपरिभाषित स्थिति

दिल्ली के मामले में उपर्युक्त मापदंडों को लागू करने के परिणाम तालिका 2.31 में दिखाए गए हैं

तालिका 2.3.1: डोमर मॉडल पर आधारित ऋण धारणीयता विश्लेषण

वर्ष	वास्तविक वृद्धि (जी) ¹⁷	वास्तविक ब्याज (आर) ¹⁸	जीआर (डोमर गैप)	प्राथमिक घाटा (-)/अधिशेष(+) (₹ करोड़ में)	टिप्पणी
2018-19	4.30	5.98	-1.68	5104	अपरिभाषित स्थिति
2019-20	3.69	4.40	-0.71	2336	अपरिभाषित स्थिति
2020-21	-6.57	4.00	-10.57	-3834	स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में सार्वजनिक ऋण को स्थिर स्तर पर लाए बिना अनिश्चित काल तक बढ़ना चाहिए
2021-22	9.14	0.50	8.64	-3747	स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में सार्वजनिक ऋण को शून्य से अधिक स्थिर स्तर पर लाना चाहिए
2022-23	9.18	2.15	7.03	7832	स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में सार्वजनिक ऋण को शून्य से अधिक स्थिर स्तर पर लाना चाहिए

विषय अवधि के शुरुआती दो वर्षों अर्थात 2018-19 से 2019-20 में, राज्य में प्राथमिक अधिशेष था लेकिन डोमर गैप ऋणात्मक रहा। यह एक अपरिभाषित स्थिति का द्योतक है। वर्ष 2020-21 में, डोमर गैप ऋणात्मक रहा, जबकि

¹⁷ स्थिर मूल्यों पर स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (आधार वर्ष 2011-12)

¹⁸ वास्तविक ब्याज = नाममात्र ब्याज दर (तालिका 2.30 के अनुसार) घटा वार्षिक मुद्रास्फीति दर (एमओएसपीआई की वेबसाइट के अनुसार)

प्राथमिक घाटा यह दर्शाता है कि स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में सार्वजनिक ऋण को स्थिर स्तर पर परिवर्तित किए बिना, अनिश्चित काल तक बढ़ना चाहिए। वर्ष 2021-22¹⁹ के दौरान, डोमर गैप सकारात्मक हो गया और प्राथमिक घाटा पिछले वर्ष से कम स्तर पर जारी रहा। इससे पता चला कि स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में सार्वजनिक ऋण को शून्य से अधिक स्थिर स्तर पर लाना चाहिए। चालू वर्ष 2022-23 में, जब डोमर गैप सकारात्मक रहा, राज्य ने प्राथमिक अधिशेष की सूचना दी, जिससे पता चला कि स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में सार्वजनिक ऋण शून्य से कम स्थिर स्तर पर परिवर्तित होना चाहिए, जिससे सार्वजनिक बचत होगी। इस प्रकार, यह स्पष्ट हो जाता है कि केवल आर्थिक विकास पर निर्भर रहना (2021-2023 से जी-आर>0 के रूप में अभिव्यक्त) राज्य दायित्वों से ऋण को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

2.7 निष्कर्ष

कुछ सकारात्मक संकेतकों और जिन पर कड़ी निगरानी की आवश्यकता है, उनका स्नैपशॉट तालिका 2.32 में दिया गया है।

तालिका 2.32: मुख्य मापदंड

सकारात्मक संकेतक	कड़ी निगरानी के लिए आवश्यक पैरामीटर
<ul style="list-style-type: none"> राजस्व प्राप्तियाँ 27.15 प्रतिशत बढ़ गईं। स्वयं कर प्राप्तियाँ 18.35 फीसदी तक बढ़ गईं। सार्वजनिक ऋण के पुनर्भुगतान में वृद्धि 11.86 प्रतिशत तक हो गई। 	<ul style="list-style-type: none"> गैर-कर प्राप्तियाँ 29.75 प्रतिशत तक थी ऋण एवं अग्रिम वितरण में 18.48 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। पूंजीगत व्यय 2.96 प्रतिशत तक कम हो गया।

¹⁹ पोस्ट कोविड के दौरान स.रा.घ.उ. (जी) और डोमर-गैप (जीआर) की वास्तविक वृद्धि दर (अर्थात 2021-22 और 2022-23) को अगले वर्ष के दौरान स.रा.घ.उ. विकास दर की गणना के लिए निम्न आधार के दौरान नकारात्मक स.रा.घ.उ. के साथ पढ़ा जाना चाहिए।